पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा

अंकुर

अक्तूबर - दिसम्बर, 2012

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

बैंक ने की रुपए डेबिट कार्ड की शुरुआत

श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री रजत सच्चर, बैंक निदेशक का फूलों से अभिनन्दन करते हुए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, श्री एन. राजेन्द्रन, बैंक निदेशक का पुष्प-गुच्छ से स्वागत करते हुए।

श्री पी. के. आनन्द, कार्यकारी निदेशक महोदय, श्री रजत सच्चर को 'रुपए डेबिट कार्ड' भेंट करते हुए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, बैंक निदेशक व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए।

श्री जी. एस. बिन्द्रा, मुख्य महाप्रबंधक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को 'रुपए डेबिट कार्ड' भेंट करते हुए। चित्र में श्री पी. के. आनन्द, कार्यकारी निदेशक महोदय भी परिलक्षित हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, श्री विजय श्रीवास्तव, महाप्रबंधक एवं स्टाफ़-सदस्यों से वार्तालाप करते हुए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाऊस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110 008

अक्तूबर-दिसंबर 2012

मुख्य संरक्षक

श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री पी. के. आनन्द
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री डी. डी. नाग
महा प्रबंधक

संपादक व प्रकाशक

डॉ. चरनजीत सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रभारी,
राजभाषा विभाग

संपादक मंडल

श्रीमती इन्द्रपाल कौर
वरिष्ठ प्रबंधक

श्री हिमांशु राय
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : फा 2(25) प्रैस. 91

राजभाषा अंकुर में प्रकाशित सामग्री में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस
5/32ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 फोन : 98100 87743

विषय-सूची

आप की कलम से	2
संपादकीय	3
मानक हिंदी वर्तनी एवं इसकी स्वरूप संरचना	4
कार्यालयीन पत्र-व्यवहार	6
पिंगलवाड़ा श्री अमृतसर/यह दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती	10
ग्राहकों द्वारा बैंकिंग में इंटरनेट का प्रयोग	12
सतर्कता जागरूकता-कार्यशाला	15
सतर्कता जागरूकता सप्ताह, प्रधान कार्यालय स्तर पर	16
सतर्कता जागरूकता सप्ताह, आंचलिक कार्यालय स्तर पर	17
मोगा जिला, कृषि ऋण वितरण कैंप	18
हिंदी -पंजाबी कार्यशालाएँ	19
गतिविधियाँ	20
बैंक द्वारा ग्रामीण स्व-रोज़गार कार्यक्रम	22
नई शाखाएँ	24
राजभाषा-समाचार	28
दिल्ली बैंक नराकास	29
कवि-सम्मेलन	30
सतर्कता दिवस के अवसर पर विजयी स्लोगन	31
काव्य-मंजूषा	32
रहिमन धागा प्रेम का....	34
भ्रष्टाचार-कारण और निवारण	35
सुभद्रा कुमारी चौहान-एक परिचय	39
सेवा-निवृत्तियाँ	42
नन्हें चित्रकार	44

आपकी कलम से

पत्रिका का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ, हिंदी भाषा और बैंकिंग में तालमेल से ओत-प्रोत आपके कुशल संपादन की झलक देता है। विविध विषयों को लेकर लिखे गए लेख नये तेवर के साथ ज्ञान में इजाफ़ा करने में सफल हैं। पवन कुमार जैन का लेख 'राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हिंदी भाषा', जे. एस. कोचर का 'समय प्रबंधन', परमजीत सिंह बेवली का आलेख 'वित्तीय समावेशन-भविष्य की आवश्यकता, समस्याएँ एवं समाधान' पाठकों की हिंदी संबंधी तथा बैंकिंग जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मेधावनी श्रीवास्तव की कहानी 'तकल्लुफ़' तथा डॉ. नीरू पाठक का संस्मरणात्मक लेख 'एक तीर्थ-स्थल ऐसा भी' में तरो-ताज़गी हैं। आवरण प्रथम एवं चतुर्थ आकर्षक हैं। प्रूफ़ शोधन भी श्रमपूर्वक किया गया है। 'अंकुर' के कुशल संपादन हेतु संपादकीय परिवार को बधाई।

- डॉ. सुरेश उजाला
संपादक, उत्तर प्रदेश मासिक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पार्क रोड, लखनऊ।

"राजभाषा अंकुर" का जुलाई-सितंबर, 2012 का अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। जैसा कि 'अंकुर' नाम से प्रतीत होता है, इसमें सम-सामयिक विषयों के विभिन्न अंकुर अंकुरित किए गए हैं। पत्रिका में बैंकिंग संबंधी लेख "वित्तीय समावेशन-भविष्य की आवश्यकता, समस्याएं एवं समाधान और अन्य लेख काफ़ी ज्ञानवर्धक व उपयोगी हैं। बैंकिंग संबंधित लेख हमारी बैंकिंग जिज्ञासा को शांत करते हैं। स्टाफ़-सदस्यों की प्रतिभा वाकई सराहनीय है। चित्ताकर्षक आवरण पत्रिका में चार चाँद लगा रहे हैं। संपादक मंडल तथा रचनाकारों को हार्दिक बधाई।

- कुलदीप सिंह
सचिव
सहायक निदेशक (राजभाषा) आयकर विभाग
दंडी स्वामी चौक, सिविल लाइन्स, लुधियाना।

"राजभाषा अंकुर" का जुलाई-सितम्बर, 2012 का अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री न केवल रोचक है, बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। पत्रिका में "झूठ का सच" तथा "एक तीर्थ स्थल ऐसा भी" इत्यादि नए तथ्यों से हमारा परिचय कराते हैं। बैंकिंग संबंधी लेख "वित्तीय समावेशन-भविष्य की आवश्यकता, समस्याएं एवं समाधान", एवं अन्य लेख "समय प्रबंधन" उच्च स्तरीय तथा निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक हैं।

पत्रिका के स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक रूप से संपादन कार्य से जुड़े सभी माननीय सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं।

प्रो. निरंजन तस्नीम
पूर्व फैलो इण्डियन इंस्टिच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला
77, विशाल नगर एक्सटेंशन,
फक्खोवाल रोड, लुधियाना-143013

हमें आपकी गृह-पत्रिका "राजभाषा अंकुर" का जुलाई-सितम्बर 2012 का अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका का संपादकीय बहुत अच्छा लगा। लेख "राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी भाषा" हिंदी के प्रति एक श्रद्धांजलि लगी, बाकी तो हमें मालूम ही है कि किस प्रकार हिंदी की रोटी खाकर भी हमारे देश में अंग्रेज़ी का गुणगान किया जा रहा है। आज के आपाधापी वाले युग में 'समय प्रबंधन' पर जो लेख है वह बहुत ही उपयोगी है। आगामी अंकों के लिए हमारी ओर से संपादक महोदय जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

डॉ. अमर सिंह सचान
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर-5ए, चतुर्थ तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली।

बैंक की पत्रिका राजभाषा अंकुर का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ। यह पत्रिका पंजाब एण्ड सिंध बैंक की गतिविधियों के साथ परिचय करवाती है और साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान संबंधित रचनाओं को प्रस्तुत करने का एक उचित माध्यम बनी है। पंजाब के ज़िला अमृतसर के गाँव मल्लियाँ और हमारा गाँव छज्जलवड्डी बहुत पास-पास हैं। अंकुर में प्रस्तुत रचनाएं 'अंक सात की महिमा', 'आशा ही जीवन है', 'मैं और मेरे सपने', 'दयालुता', 'इच्छा', 'माँ', 'झूठ का सच', 'अंडमान निकोबार समूह', 'एक तीर्थ-स्थल ऐसा भी' क़ाबिले-तारीफ़ हैं। बेहतरीन सामग्री की प्रस्तुतीकरण के लिए बधाई।

-डॉ. इकबाल कौर
34-ई, रणजीत एवन्यू, अमृतसर (पंजाब)

संपादकीय

प्रिय साथियो,

सर्वप्रथम मैं आपका नए वर्ष 2013 में अभिनन्दन करता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका नए वर्ष का हर दिन हिंदीमय हो। गत सितम्बर माह में 'हिंदी दिवस' के आयोजन, हिंदी प्रतियोगिताओं व पुरस्कारों की चहल-पहल से हिंदी कार्यान्वयन के प्रति एक सकारात्मक वातावरण का सृजन हुआ है। नए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियों से एक नई आशा का संचार हुआ है तथा स्टाफ़-सदस्यों में हिंदी में कार्य करने की रुचि को बढ़ावा मिला है। यही उपयुक्त समय है जब हम ऐसे वातावरण को निरंतर बनाए रखें और बैंक के आंतरिक काम-काज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाते जाएं। इधर यह भी देखने में आ रहा है कि आज व्यावसायिक व प्रतिस्पर्धात्मक युग में हिंदी का प्रयोग सरल बनाया जा रहा है ताकि भारी -भरकम शब्दावली व वाक्य-विन्यास का मोह त्याग कर आम लोगों की भाषा का प्रयोग बढ़ाया जा सके। मैं समझता हूँ इसी सकारात्मक व प्रयोगात्मक सोच से हम बैंक में हिंदी के प्रयोग को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे बैंक की पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' को दिल्ली, नराकास की ओर से इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार हेतु आप सभी सुधि पाठकों व लेखकों को हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि हमारी पत्रिका अगले वर्ष भी यह पुरस्कार प्राप्त करे। इसके लिए सभी स्टाफ़-सदस्यों का और अधिक सहयोग वांछनीय है, तभी हम अग्रणी स्थान पर बने रह पाएंगे।

बैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें आम तौर पर हम साहित्य से दूर हो जाते हैं, फिर भी हमारे स्टाफ़-सदस्यों में लिखने की पूरी क्षमता है। पत्रिका के इस अंक में हमने साहित्य की विविध विधाओं (कहानी, लेख, कविताओं आदि) को स्थान दिया है। पत्रिका के माध्यम से हम बैंक-कर्मियों को अपनी प्रतिभा उभारने को मौका देते हैं। साथ ही बाल-चित्रकारों को अपना हुनर दर्शाने का अवसर भी देते हैं। मैं देश-पर्यंत फैली शाखाओं, कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ़-सदस्यों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी अधिकाधिक रचनाओं को बैंक-पत्रिका में प्रकाशन हेतु भिजवाएं ताकि पत्रिका को और अधिक सुरुचिपूर्ण व ज्ञानवर्धक बनाया जा सके।

इस नए वर्ष पर नए उत्साह के साथ बैंक-पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' का यह नवीनतम अंक प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आपको यह अंक भी पसंद आएगा। आप सभी पाठकों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि अपने विचारों व सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएँ ताकि पत्रिका को और अधिक पठनीय व सुरुचिपूर्ण बनाया जा सके।

आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ,

आपका

(डी. डी. नाग)
महाप्रबंधक व मुख्य संपादक

मानक हिंदी वर्तनी एवं इसकी स्वरूप संरचना

- शैलेश कुमार सिंह

हिंदी संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के भीतर और बाहर हिंदी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करना बहुत आवश्यक और कालोचित जान पड़ा ताकि हिंदी शब्दों की वर्तनियों में अधिकाधिक एकरूपता लाई जा सके। तदनुसार, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार ने 1961 में हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

समिति की चार बैठकें हुई जिनमें गंभीर विचार-विमर्श के बाद वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की गई। समिति ने तदनुसार अप्रैल, 1962 में अपनी अंतिम सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं जो सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में नीचे दी जा रही है :

(1) हिंदी के विभक्ति-चिन्ह सर्वनामों के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाएंगे, जैसे, राम ने, स्त्री को, मुझको। परंतु प्रेस की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पत्र-पत्रिकाओं में संज्ञादि शब्दों में भी विभक्तियां मिलाने की छूट रहे।

अपवाद :

क) सर्वनामों के साथ यदि विभक्ति-चिन्ह हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे, उसके लिए, इसमें से।

ख) सर्वनाम और विभक्ति के बीच "ही", "तक" आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए, जैसे, आप ही के लिए, मुझ तक को।

(2) संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक-पृथक लिखी जाएं : जैसे, पढ़ा करता है, आ सकता है।

(3) "तक", "साथ" आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं : जैसे, आपके साथ, यहाँ तक।

(4) पूर्वकालिक प्रत्यय "कर" क्रिया से मिलाकर लिखा जाए : जैसे, मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर।

(5) द्वंद समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए : जैसे, राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद।

(6) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए/जैसे, तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से-तीखे।

(7) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं : जैसे भू-तल, रामराज्य।

(8) जहां श्रुतिमूलक य-व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ न किया जाए, अर्थात् गए-गये, नई-नयी, हुआ-हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों में माना जाए।

(9) हिंदी ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियां,"है", "और" आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की "गवैया", "कौवा" आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों (ऐ ै , औ, ौ) का प्रयोग किया जाए, 'गवय्या", "कव्वा" आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं।

(10) जहाँ पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग के शेष चार वर्गों में से कोई वर्ण हो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, जैसे अंत, गंगा, संपादक, साम्य, सम्मति।

(11) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे, हंस, हँस, अंगना, अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहां चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम

उत्पन्न न करे वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की भी छूट दी जा सकती है, जैसे नहीं, में, मैं। परंतु कविता आदि के ग्रंथो में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे नहीं, में, मैं, नँद-नंदन।

(12) अरबी-फ़ारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रुपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जाएं : जैसे, ज़रुर। परंतु जहां पर उनका शुद्ध विदेशी रुप में प्रयोग अभीष्ट हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं, जिससे उनका विदेशीपन स्पष्ट हो : जैसे, राज़, नाज़।

(13) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत "औ" ध्वनि का प्रयोग होता है, उनको शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर "आ" की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ ॉ)।

(14) संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे "दुःखानुभूति" में। परंतु यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो, तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे "दुख-सुख के साथी"।

इस आधार पर मानक हिंदी वर्णमाला की स्वरूप संरचना को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है :

(क) स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए
ऐ ओ औ अं अः

(ख) क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड (ड़) ढ (ढ़) ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह
क्ष त्र ज्ञ

(ग) अंक

भारत सरकार के काम-काज में अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है :

1. हिंदी में ऋ (दीर्घ ऋ) का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

2. संयुक्ताक्षर

(1) खड़ी पाई वाले व्यंजन :

ख ग घ च ज झ ञ ण त थ ध न
प ब भ म य ल व श ष क्ष त्र ज्ञ

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा कर ही बनाया जाना चाहिए।

यथा:

ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, व्यंजन, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शय्या, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृत, यक्ष्मा।

3. अन्य व्यंजनः

(क) "क" और "फ" के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढंग ही कायम रहेगा। यथा: संयुक्त, पक्का, दफ़्तर।

(ख) ड्, छ, ट्, ठ, ड्, ढ, और द के संयुक्ताक्षर हलंत चिन्ह लगा कर ही बनाए जाएं। यथा: वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि।

(ग) संयुक्त "र" के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा: प्रकार, धर्म, राष्ट्र

4. शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

5. फुलस्टाप को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वहीं ग्रहण किए जाएं जो अंग्रेज़ी में प्रचलित हैं।
विसर्ग के चिन्ह को ही कोलन का चिन्ह मान लिया जाए।

6. पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

7. अनुस्वार और अनुनासिक दोनों (ं ँ) प्रचलित रहेंगे।

- उपनिदेशक

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय,

गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।

कार्यालयीन पत्र-व्यवहार

- इन्दरपाल कौर

कार्यालयीन पत्र-व्यवहार सामान्य पत्र-व्यवहार से एकदम भिन्न होता है। कार्यालयीन पत्र-व्यवहार में व्यक्ति नियमों के अंतर्गत बंधा होता है। उसे नियमों के अनुसार ही पत्र-व्यवहार करना होता है, जबकि सामान्य पत्र-व्यवहार में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छानुसार ही पत्र-व्यवहार करता है।

कार्यालयीन पत्र-व्यवहार में विषय स्पष्ट होना चाहिए। साधारणतः पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, भाषा-शैली सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता होनी चाहिए। पत्र में विनम्र एवं शिष्ट शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। प्रभावशीलता पत्र-लेखन का मुख्य गुण है। सुलेख एवं सुंदर कागज़ भी पत्र में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। संवैधानिकता तथा कार्यालयीन औपचारिकता पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

शासकीय पत्र में क्या नहीं लिखना चाहिए :

1. सामान्य पत्रों की तरह प्रणाम, नमस्कार आदि न लिखा जाए।
2. कुशल मंगल आदि व्यक्तिगत संवेदनाओं के विचारों का प्रयोग न किया जाए।
3. वही बात लिखी जाए जो कार्यालय द्वारा संवैधानिक रूप से ग्राह्य हो, इस में व्यक्तिगत या नैतिक राय न दी जाए।
4. एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए।
5. भाषा कठिन एवं अलंकारिक न लिखी जाए।
6. भाषा कटुता एवं अभद्रता भरी न हो।
7. व्यक्तिगत आक्षेपों से बचा जाए।

कार्यालयों में पत्र-व्यवहार के लिए कई तरह के पत्र लिखे जाते हैं, जो इस प्रकार है :

1. शासकीय पत्र/Official Letter
2. अनुस्मारक/Remiinder
3. तुरन्त पत्र/Urgent Letter
4. अर्ध सरकारी पत्र/Demi Official Letter
5. तार/Telegram
6. बेतार/Wireless
7. सेविंग्राम/Savingram
8. टेलेक्स एंव फैक्स/Telex and Fax
9. ई-मेल/E-mail
10. कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum
11. पृष्ठांकन/परांकन/Endorsement
12. कार्यालय आदेश/Office Order
13. आदेश/Order
14. सूचना/Notice
15. निमंत्रण पत्र/Invitation Card
16. परिपत्र/Circular
17. अधिसूचना/Notification
18. प्रेस विज्ञप्ति/नोट/Press Communicate / note

उपरोक्त बताए गए प्रकारों में से प्रत्येक का अपना एक विशेष प्रयोग है और कहीं-कहीं उन की अपनी विशेष शब्दावली भी होती है।

1. शासकीय पत्र/Official Letter

इन्हें सरकारी पत्र भी कहा जाता है। बैंकों में इन्हें हम शासकीय पत्र कहते हैं। शासकीय पत्र लिखते समय निम्न तथ्यों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए :

क. पत्र-शीर्ष, जिस में बैंक का नाम और पता होता है/Letter Head bearing the name & address of the Bank

ख. पत्रादि की संदर्भ संख्या (बाईं ओर)/Number of Communication (Left Side)

ग. तारीख़ (दाईं ओर)/Date (Right Side)

घ. पाने वाले का नाम, पदनाम और पता/Name] Designation and Address

ङ. विषय/Subject

च. संबोधन/Saluation

छ. पत्र का मुख्य कलेवर (कथन)/Main Text of the Letter

ज. अधो लेख-भवदीय/Subscription / Yours faithfully

झ. भेजने वाले के हस्ताक्षर और उसका पदनाम/ Signature and Designation of the Sender

शासकीय पत्रों को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है :

1. अधिकारपूर्ण/Authoriation

2. समर्पण पूर्ण/Submissive

3. अनुशीलन/Persuasive

1. अधिकारपूर्ण/Authoriation :

इस पत्र को लिखने वाले अधिकारपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे :

क. यदि हमें एक सप्ताह के अंदर आपका उत्तर प्राप्त न हुआ तो हमें कठोर कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ेगा।

ख. राजभाषा अधिनियम के अनुसार आप द्विभाषिक बोर्ड न लगवाने के दोषी है, क्यों न आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इत्यादि

कभी-कभी ये पत्र अच्छा परिणाम देते हैं तथा कार्य प्रायः हो जाता है, परंतु इनसे जिस वातावरण का निर्माण होता है, वह प्रगतिशील समाज के लिए ग्राह्य नहीं है। मात्र अधिकार प्रदर्शन के लिए ऐसे पत्रों का लिखा जाना अनैतिक है।

2. समर्पण पूर्ण/(Submissive) :

इस प्रकार के पत्रों में असीमित नम्रता पाई जाती है जो कि कार्यालयीन जीवन में अव्यवहारिक होती है, यथा :

क. आपकी शाखा से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। यह मेरे लिए बहुत दुःख का कारण है। आपकी रिपोर्ट से ही तो मैं आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय को अपने क्षेत्र के बारे में इतनी अच्छी रिपोर्ट दे पाता हूँ। आशा है आप जिस तरह हमारी मदद करते आये हैं, उसी तरह करते रहेंगे और अपनी शाखा की रिपोर्ट शीघ्र भेज देंगे।

ख. आपके ही बल पर तो मैं क्षेत्रीय प्रबंधक बना और यदि आप ही जमा के मामले में मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं यह कैसे करुँगा-आदि। स्पष्ट है कि ऐसे पत्र-लेखन अधिकारी में नेतृत्व तथा आत्म-विश्वास का नितांत अभाव है। ऐसा व्यक्ति अधिकारी होने के योग्य नहीं है। हमें नम्र होना चाहिए, समर्पणपूर्ण नहीं।

3. अनुशीलन/Persuasive :

इस प्रकार के पत्र लेखन मध्यम मार्ग अपनाते हैं वे न तो अधिकार पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं और न ही सम्पूर्ण पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। वे भाषा का समन्वय इस ढंग से करते हैं कि वही अधिकार, नम्रता सब एकाकर हो जाते हैं, यथा आप जानते ही है कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार हमें अपनी शाखाओं के बोर्ड द्विभाषिक रूप में लगवाने हैं। किंतु ऐसा ज्ञात हुआ है कि आपकी शाखा ने यह कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है। सरकार की प्रत्येक नीति का पालन करने में हमारे शाखा प्रबंधक सदा तत्पर रहे हैं और हमें विश्वास है कि भाषा नीति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद वे राजभाषा अधिनियम के पालन में उतनी ही रुचि लेंगे। साथ ही आपकी शाखा तो अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ द्विभाषिक बोर्डों के लगवाने से हम स्थानीय जनता के काफ़ी क़रीब आ जाएंगे।

अतः अनुरोध है कि इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें तथा अपनी शाखा की अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

2. अनुस्मारक/Remiinder

जब किसी मामले में संबंधित व्यक्ति/कार्यालय से पूर्व भेजे गए पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। अनुस्मारक के लिए पत्र के उसी रूप का प्रयोग किया जाता है, जिस में मूल पत्र भेजा गया था।

3. तुरंत पत्र/Urgent Letter

जब किसी मामले में तत्काल कार्रवाई की जानी है तो उस समय तुरंत पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा तार के समान होती है। तुरन्त पत्र पर तार के समान ही शीघ्रता और प्राथमिकता दी जाती है।

4. अर्ध-सरकारी पत्र/Demi Official Letter

शासकीय पत्राचार के इस रूप का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है :

क. सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता की ओर ध्यान दिए बिना अधिकारियों द्वारा आपस में विचार-विनिमय करने के लिए।

ख. जब किसी विषय में प्राप्तकर्ता का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना हो।

ग. जिन मामलों में निपटान में बहुत अधिक देरी हो गई हो, उनके जल्दी निपटान के उद्देश्य से किसी विशेष अधिकारी

का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराने के लिए।

अर्ध सरकारी पत्र पाने वाले का यह दायित्व हो जाता है कि वह उस विषय/मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य पूरा करना। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग मूल पत्र के रूप में भी किया जाता है और अनुस्मारक के रूप में भी। इस में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा मित्रता एवं आत्मीयता लिए हुए होती है। ऐसे पत्रों की शुरुआत 'प्रिय महोदय' से न हो कर के 'प्रिय श्री.....' से की जानी चाहिए और पत्र के अंत में 'भवदीय' के स्थान पर 'आपका' लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाले के मन में पत्र लेखक के बारे में अपनत्व की भावना जागृत हो सके। हस्ताक्षर के स्थान पर पत्र भेजने वाला केवल हस्ताक्षर ही करता है तथा प्रायः पदनाम भी नहीं लिखा जाता है।

अर्ध-सरकारी पत्र के लिए विशेष प्रकार के छपे हुए पैड होते हैं। ये लेखक के नाम के ही पैड होते हैं। अर्ध-सरकारी पत्र के मसौदे की भाषा में 'कर', 'रखें', 'करवाएँ' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

5. तार/Telegram :

तार का प्रयोग किसी मामले की शीघ्रता से सूचना देने तथा विषय या समस्या की गंभीरता को ज्ञाप्ति करने के लिए किया जाता है। तार में कम-शब्द एवं विषय को स्पष्ट करने वाले विशिष्ट शब्द ही रहते हैं : साधारण तारों की पुष्टि के लिए डाक द्वारा पुष्टि प्रतिलिपि भी पत्र द्वारा भेजी जाती है। इससे विषय की गंभीरता का ज्ञान होता है।

6. बेतार/Wireless :

जब कोई सूचना डाक द्वारा भेजनी संभव न हो या फिर किसी सूचना को डाक द्वारा न भेजना हो तो बेतार का सहारा लिया जाता है।

7. सेविंग्राम/Savingram :

इस का प्रयोग गुप्त प्रकृति के विदेशी पत्र-व्यवहार में किया जाता है। इसकी भाषा कूट तार की भाषा जैसी होती है। इसे राजनयिक बैग अथवा रजिस्ट्री बीमा हवाई डाक द्वारा भेजा जाता है।

8. टेलेक्स एंव फैक्स/Telex and Fax :

अति आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में टेलेक्स सुविधायुक्त विभाग, अन्य दूरवर्ती स्थानों पर स्थित कार्यालयों/व्यक्तियों से तार द्वारा पत्राचार की बजाए टेलेक्स द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। टेलेक्स संदेश का प्रारूप तार के समान होता है। टेलेक्स संदेश की पुष्टि की प्रति भी तार के समान ही डाक द्वारा भेजी जाती है।

यदि कोई संदेश हस्तलिखित या टंकित किया हुआ ज्यों-का-त्यों भेजना हो तो फैक्स की सहायता ली जाती है। इसमें विषय का अपना ही महत्व होता है। और उस पर तत्काल कार्रवाई की आशा की जाती है।

9. ई-मेल/E-mail

ई-मेल वर्तमान युग में संदेश पहुँचाने की सर्वोत्तम प्रणाली है। यह आधुनिक माध्यम है जिसके द्वारा कम्प्यूटर पर त्वरित संदेश भेजा अथवा प्राप्त किया जा सकता है। ई-मेल के द्वारा हम बड़ी से बड़ी फाईल, दस्तावेज आदि बिना विलंब के आसानी से एक-दूसरे को भेज सकते हैं। किसी भी सूचना को एक साथ सभी कार्यालयों को भेजने का यह उत्तम तरीका है। इससे समय की भी बचत होती है और संदेश भी तत्काल पहुँच जाता है। व्यावसायिक जगत में भी इसकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बैंकों में यह सम्प्रेषण का सक्षम और महत्वपूर्ण माध्यम है।

10. कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum :

कार्यालय ज्ञापन सदा ही अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इस में संबोधन और अधोलेख नहीं होता, केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम होता है।

इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है :

क. अन्य विभागों से पत्र-व्यवहार करने के लिए।

ख. विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए।

ग. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए।

11. पृष्ठांकन/परांकन/Endorsement :

पृष्ठांकन का प्रयोग कभी-कभी पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्रवाई आदि के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए होता है।

12. कार्यालय आदेश/Office Order :

इस के द्वारा आदेशात्मक सूचनाएं दी जाती है। इसका प्रयोग कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को अनुशासन आदि के बारे में आदेश देने के लिए होता है। इसका प्रयोग किसी कर्मचारी के स्थानांतरण पर, स्थानांतरित हो कर आने पर, कार्य-भार

संभालने के समय, पदोन्नति, वेतन-वृद्धि तथा छुट्टी मंज़ूर करने, अनुभागों के बीच काम का वितरण, एक अनुभाव से दूसरे में तैनाती आदि की सूचना भी कार्यालय-आदेश द्वारा दी जाती है।

13. आदेश/Order :

किसी विशेष मामले में कर्मचारियों को सामान्य रूप से कोई आदेश देना हो तो आदेश जारी किया जाता है।

14. सूचना/Notice :

निविदा, कोटेशन आदि की सूचनाएं इस के अंतर्गत आती हैं और इन्हें सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है।

15. निमंत्रण-पत्र/Invitation Card :

जब किसी शाखा/कार्यालय का उद्घाटन होता है, शाखा/कार्यालय में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत होती है, शाखा/कार्यालय का एक परिसर से दूसरे परिसर में परिवर्तित करना हो या फिर कोई समारोह आदि है तो हम निमंत्रण-पत्र का प्रयोग करते हैं।

16. परिपत्र/Circular :

जब एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों, विभागों अथवा कार्यालयों/शाखाओं आदि के लिए लिखा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। इस में आदेश, अनुदेश सूचना एवं नियमों आदि की जानकारी दी जाती है। यह प्रायः आंतरिक होता है। बैंकों में यह सम्प्रेषण का बहुत सशक्त एवं महत्वपूर्ण माध्यम है।

17. अधिसूचना/Notification :

अधिसूचना का प्रयोग भारत के राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशन के लिए होता है। इसमें नियमों, आदेशों के लागू होने, अधिकार प्रदान करने, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों, स्थानांतरणों, नौकरी से हटाने, अवकाश, पदोन्नतियां आदि से सम्बद्ध सूचनाएँ दी जाती हैं।

18. संकल्प/Resolutioin :

संकल्प का प्रयोग भारत के राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशन के लिए होता है। इस का प्रयोग नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों पर सरकारी निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा के लिए, जांच आयोगों तथा समितियों की नियुक्ति तथा निकायों की रिपोर्टों की जांच के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए होता है।

19. प्रेस विज्ञप्ति/नोट/Press Communicate / note :

किसी सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। सरकारी प्रस्तावों, निर्णयों एवं आदेशों को प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति/नोट का प्रयोग किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति/नोट को एक विशेष तारीख़ को या उस के पश्चात् ही प्रकाशित किया जा सकता है।

- प्र.का. राजभाषा विभाग

नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर पत्रिका का विगत दो दशकों से सफल प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बैंकिंग, कंप्यूटर एवं मानव-संसाधन से जुड़े लेखों के प्रकाशन के साथ-साथ हास्य-व्यंग्य, कविता, ग़ज़ल का प्रकाशन किया जाता है। स्टाफ़-सदस्यों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, बाल-कविताएँ, स्केच, पेंटिंग को भी यथोचित स्थान प्रदान किया जाता है। इसे बहुआयामी, प्रेरक और प्रोत्साहन माध्यम बनाने के लिए सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है। राजभाषा विभाग में आपके मूल लेख, कविता, सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य संपादक
पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. राजभाषा विभाग
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

पिंगलवाड़ा श्री अमृतसर

- प्रेम सिंह

श्री अमृतसर में स्थित पिंगलवाड़ा एक ऐसा आश्रयस्थल है जहाँ पर मानवता की एक जीवन्त तस्वीर उभरकर सामने आती है। इस आश्रयस्थल को दीन-दुःखियों, बेसहारों, चलने फिरने में असमर्थ और विशेष रूप से मानसिक रूप से बीमार महिलाओं, लावारिस बच्चों आदि के पोषण के लिए भगत पूर्ण सिंह जी ने अपने परिश्रम से अकेले ही बनवाया था। इसकी शुरूआत 1947 में, जब देश के विभाजन के बाद लोग अत्यधिक दयनीय हालत में पाकिस्तान से आ रहे थे, भगत पूर्ण सिंह जी के द्वारा की गई थी। यह प्रयास 1992 में उनकी मृत्यु तक निरंतर जारी रहा। आज पिंगलवाड़ा संस्था, भगत पूर्ण सिंह जी तथा उनकी उत्तराधिकारी डॉ. इन्द्रजीत कौर जी के अथक प्रयासों तथा जटिल परिश्रम के फलस्वरूप विश्व भर में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है।

भगत पूर्ण सिंह जी का जन्म 1904 को लुधियाना के राजेवाला गाँव में हुआ था। आप बचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी माता जी का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था, क्योंकि उनकी माता एक धार्मिक प्रवृति और सेवा-भावना वाली स्त्री थी। वह स्वयं दीन-दुखियों की तन-मन-धन से सेवा करती थी और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए आगे चलकर भगत जी एक महान तपस्वी, कर्मयोगी एवं भगत के रूप में संसार में विचरते रहे। 1924 में आप स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाहौर के डेरा साहिब के श्री गुरू अरजन देव जी के गुरुद्वारे (जो सिक्खों के 5वें गुरू थे) में सेवा कार्य में जुट गए। जिससे उनके मन को आंतरिक शांति एवं खुशी का अनुभव होने लगा। दिन-प्रतिदिन जनता में उनका उदार-भाव बढ़ने लगा।

आज उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के फलस्वरूप अमृतसर, पिंगलवाड़ा में मुसीबत के मारे निःशक्तजनों, वृद्धों, मंदबुद्धि एंव समाज द्वारा प्रताड़ित लोगों आदि की सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। वर्तमान में भगत पूर्ण सिंह जी की उत्तराधिकारी के रूप में डॉ. इन्द्रजीत कौर की देख-रेख में इस आश्रयस्थल में लगभग 1600 से अधिक मरीज़ों के लिए रहने का प्रबंध किया गया है।

इलाज की सुविधाएं : दवाईयाँ, मेडिकल लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, डेमा वैन, अल्ट्रा साउंड केन्द्र, मंद-बुद्धि बच्चों के लिए संवेदी केन्द्र, आँखों का केन्द्र, कृत्रिम अंग केन्द्र, फिजियोथेरेपी एवं योग्य लड़के-लड़कियों की शादी का कार्य आदि सुविधाएं उपलब्ध है।

श्री अमृतसर स्थित पिंगलवाड़ा एवं उसके अधीन अनेक संस्थाएं आज मानव-मात्र की सेवा पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा से कर रही हैं। अकेले अमृतसर में ही 1600 से अधिक बच्चों का, जो विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं, उनका इलाज विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। इस पिंगलवाड़ा आश्रय स्थल में हर रोग के माहिर डॉक्टर बिना कोई फ़ीस लिए समाज सेवा कर रहे हैं।

समाज-कल्याण संबंधी योगदान : पिंगलवाड़ा संस्था समाज-कल्याण तथा समाज सुधार कार्यों में भी विशेष योगदान दे रही है। जैसे-सामाजिक बुराईयों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पिंगलवाड़ा में स्थापित 'पूर्ण प्रिंटिंग प्रेस' में हर तरह का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभ्याचारक एवं स्वास्थ्य संबंधी जन-चेतना विषयों पर साहित्य रचना कर जन-साधारण को वर्षों से मुफ़्त बांटा जा रहा है।

गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर के रूहानी वातावरण में और गुरूबाणी की शिक्षाओं पर चलते हुए भगत पूर्ण सिंह जी ने जो निष्काम सेवा का कार्य शुरू किया था, उस कार्य को उन्होंने अमृतसर पहुँच कर मूल स्वरूप दिया। आज उनके उत्तराधिकारी और समाज-सेवकों द्वारा इस संस्था की सेवा में रात-दिन एक किया हुआ है। आज इस संस्था में हर तरह के रोगी चलने-फिरने में अक्षम व्यक्तियों, लावारिस लोगों जिनकी

धर्म-जाति, वर्ग, भेद किए बिना सेवा की जाती है। इसमें लाचार, निःशक्त तथा मानसिक रूप से कमज़ोर औरतें, बच्चे-बूढ़े शामिल हैं। इसके अलावा इस संस्था द्वारा ग़रीब बच्चों को मुफ़्त शिक्षा, निःशक्त जनों के लिए मुफ़्त कृत्रिम अंग और स्वच्छ वातावरण के लिए सरकारी जगहों पर मुफ़्त वृक्ष लगाना आदि कार्य भी किए जाते हैं।

वर्तमान में पिंगलवाड़ा का प्रतिदिन का खर्च लगभग 3,50,000 रुपए है। जो कि दानी सज्जनों और पिंगलवाड़ा के शुभ-चिन्तकों द्वारा दिए गए दान और सहायता राशि से एकत्रित होता है। आज डॉ. इन्द्रजीत कौर जी भगत पूर्ण सिंह जी द्वारा बताए गए पदचिन्हों पर चलते हुए अपनी सेवाएं इस संस्था को समर्पित कर रही हैं। यही कारण है कि पिंगलवाड़ा को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इस संस्था की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 10 मई 2008 को डॉ. इन्द्रजीत कौर जी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पद्म-विभूषण से अलंकृत किया गया। आप सब भी जब कभी अमृतसर आएं तो पिंगलवाड़ा आश्रयस्थल में अवश्य जाएं। जहाँ आपको सच्ची मानवता के दर्शन करने को मिलेंगे।

- आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

यह दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती!

- प्रणति गम्भीर

एक बार भगवान शिव और माँ उमा नंदी पर सवार हो कर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले। उन लोगों ने कटाक्ष किया-"देखो, कैसे निर्दयी है! उस बेचारे निरीह बैल पर दोनों एक साथ सवार हो गए।" यह सुना तो भगवान शंकर नंदी से नीचे उतर गए। उमा नंदी पर सवार रहीं। अभी थोड़ी दूर ही बढ़े थे कि अन्य कुछ लोगों ने असंतोष जताया-"ये देखो। अपनी स्त्री का कैसा गुलाम है! स्वयं नीचे पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर सवार किया हुआ है।" उन्हें संतुष्ट करने के लिए अब उमा नीचे उतर आई और शिवजी को सवारी करने का आग्रह किया। विवश होकर भगवान नंदी पर बैठ गए और देवी उमा नंदी की चाप में चाप मिला कर पैदल चलने लगी। आगे एक मोड़ पर समाजवादियों का एक दल मिला। उन्होंने यह दृश्य देखा तो इसे नारी के विरुद्ध बताया। अब भगवान शिव फिर तटस्थ न रह सके। वे सभी उमा के संग-संग पैदल ही चलने लगे। कुछ दूरी पर एक और दल मिला। उन सबने ज़ोरदार अट्टहास किया-"कैसे निरे मूर्ख हैं! वाहन संग है, फिर भी पैदल चल रहे हैं।" अब अन्य कोई और तरीका नहीं था, जिसे अपनाकर समाज को संतुष्ट किया जा सके। अतः भगवान मुस्कुराये और उमा से बोले-"देवी, इस संसार को संतुष्ट करना तो मेरे बूते में भी नहीं।

"संसार की यही रीत है कि उसकी नज़र हमेशा कमियां ही ढूँढती है। इसलिए वही करो जिस कार्य को करने की गवाही तुम्हारी आत्मा देती है, जो धर्मसम्मत और न्यायोचित है। उसी पथ पर अग्रसर हो, जिस पर चल कर मंज़िल की प्राप्ति हो।"

- शाखा धूलकोट (अंबाला)

दुनिया जिसे कहते हैं, जादू का खिलौना है।
मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।।

ग्राहकों द्वारा बैंकिंग में इंटरनेट का प्रयोग

- ओमप्रकाश प्रजापति

निश्चित रूप से आम व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग से नेट बैंकिंग/ई-बैंकिंग/ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन विवरणी/अंतर बैंक व एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड हस्तांतरण, फ़ोन और बिजली बिल जमा करना, निवेश योजना के निर्धारण, क्रेडिट कार्ड सहित कई आर्थिक गतिविधियाँ स्वयं कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बैंकों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग में काफी सम्भावनाएं हैं। यह बैंकों के साथ ही ग्राहकों के लिए एक उत्कृष्ट सुविधा है। यह ई-मेल, सामाजिक नेटवर्किंग और ई-कॉमर्स के बाद भारत में इंटरनेट पर चौथे स्थान सबसे लोकप्रिय गतिविधि है।

ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग में सुरक्षा हेतु बुनियादी उपाय।

1. हैकर्स कैसे हमला करते हैं :

(वे कैसे ऑनलाइन बैंक खातों को हैक करते हैं।)

हमला कैसे होता है :

ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी एक जटिल योजना पर आधारित होता है, लेकिन एक सामान्य गतिविधि के समय शुरू होता है। जैसेः एक व्यक्ति अपनी दैनिक ई-मेल की जांच के दौरान अनजाने में ही एक लिंक या संलग्नक पर क्लिक करता है, जिसमें मॉलवेयर सम्मिलित होते हैं जैसे Keylogging वायरस।

फिर हैकर चोरी किए गए लॉगिन विवरण के साथ ऑनलाइन बैंकिंग खाते में हैक करते हैं। हैकर्स आमतौर पर आईपी Spoofing का उपयोग करके सिस्टम में हैक करते है ताकि बैंक उनकी पहचान न कर सके। हैक किए गए खातों से चोरी किए गए पैसे 'मनी म्यूल्स' खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।

हैकर्स आम तौर पर छोटी राशि के तहत लेन-देन रखते हैं क्योंकि अधिक राशि के आहरण को बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित करना होता है।

रोकथाम :

यदि आप किसी लिंक के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है, तो किसी भी स्थिति में उस पर कभी भी क्लिक न करें। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको आकर्षित करें, जैसे शेयर फंड में निवेश और 30 प्रतिशत वापसी या अपने पैसे तीन साल में दोगुना करें।' तो गांठ बांध लें कि उस पर क्लिक कभी नहीं करना है। इसको आदत में शामिल कर लें।

2. सुनिश्चित करें कि आप एक सुरक्षित वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं।

हमें फर्जी वेब साइटों की पहचान होनी चाहिए। साइबर अपराधी फ़िशिंग द्वारा वैध वेब साइटों की नकल बनाते हैं। पुनः वे प्रयास करते हैं कि हम इन वेब साइटों पर जाकर अपने व्यक्तिगत जानकारी, जैसे पासवर्ड, एटीएम पिन आदि का उल्लेख करें।

साइबर अपराधी ऐसे वेब पते का उपयोग करते हैं जो किसी प्रसिद्ध कंपनी के नाम के समान हों, लेकिन थोड़ा जोड़ने, घटाने या अक्षरों में परिवर्तन करके बदल दिया गया हो।

उदाहरण के लिए, "www.microsoft.com पते की जगह पर www.micosoft.com, www.mircosoft.com, www.verify.microsoft.com

3. फ़िशिंग को दूर करना

अगर आपके पास कोई ई-मेल आता है जिस पर आपका नाम लिखा हो और आपको पढ़ने के लिए आकर्षित कर रहा हो? तो ध्यान दें ई-मेल के भीतर किसी लिंक पर क्लिक करके आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि प्रेषक वह न हो जो प्रतीत हो रहा हो, तो इसका अर्थ है कि कोई फ़िशिंग कर रहा है। जहाँ आप मछली हैं और चारे के रूप में ई-मेल भेजा गया है। उदाहरण के लिए, आपको अपने बैंक के नाम से एक ई-मेल मिलता है जिसमें आपके प्रयोक्ता आई.डी. और पासवर्ड प्रदान करने को कहा गया हो क्योंकि बैंक अपने कंप्यूटर प्रणाली में किसी प्रकार का संवर्द्धन कर रहा है आदि। ई-मेल में तुरंत जानकारी देने की भावना हो कि अगर आप जानकारी प्रदान नहीं करते हैं आपके ऑनलाइन बैंकिंग खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा आदि। तो ध्यान में रखें :

"वास्तविक व्यापारी कभी एक ई-मेल में व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछते हैं।"

इस स्थिति हेतु सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे ई-मेल में क्लिक कभी नहीं करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है, तो अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में क्लिक किए गए लिंक को टाइप करें और देखें कि क्या होता है। अगर वहाँ कुछ नहीं हो, तो आप

समझ लें कि किसी ने फ़िशिंग किया है।

इन दिनों आई.डी. की चोरी एक बड़ी समस्या है। हर आई.डी. चोरी के केन्द्र में एक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अपनी निजी वित्तीय जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें। जैसे : एटीएम कार्ड संख्या, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, इंटरनेट बैंकिंग यूज़र, आईडी, पासवर्ड आदि। सुनिश्चित करें कि किसी को भी इन विवरणों का पता न चले। जब कभी आप कुछ खरीदें या रेस्तरां में खाने जाएं या किसी साइबर कैफे में अपने खाते का संचालन करें, या इस प्रकार के किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो अपने विवरणों की सुरक्षा उसी प्रकार करें जैसे वयस्त बाज़ार में आप अपने बटुए को सुरक्षित रखते हैं।

4. एक अच्छे पासवर्ड का प्रयोग करें :

एक सुरक्षित पासवर्ड वह है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सके। उदाहरणार्थ अगर आपका नाम Ashok Kumar है तो Ashok1234, kumar 1234, ashok999, kumar888 अच्छा पासवर्ड नहीं है। हैकर्स के पास पासवर्ड जानने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जितना अधिक लम्बा और कठिन पासवर्ड हो वह उतना बेहतर है। साथ ही प्रत्येक खाते के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग नहीं करें क्योंकि यदि वह एक खाते का पासवर्ड जान जाता है, वह सभी को खोल सकता है।

मजबूत पासवर्ड बनाने की युक्तियाँ

सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन के लिए कठिन पासवर्ड एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय है।

अच्छे पासवर्ड की विशिष्टताएं: लंबाई और जटिलता। एक आदर्श पासवर्ड लंबा होता है और उसमें अक्षर, विराम चिन्ह, प्रतीक और संख्या सम्मिलित होते हैं।

जब भी संभव हो, कम से कम 14 अक्षर या अधिक का उपयोग करें। पासवर्ड में अधिक से अधिक अक्षरों की विविधता बेहतर है। पूरे कीबोर्ड का उपयोग करें न कि सिर्फ़ संख्या और वर्ण का जिसका आप ज़्यादातर उपयोग करते हैं।

फ़िशिंग हमलों के प्रकार :

ई-मेल आधारित फ़िशिंग हमलें :

जहाँ लाखों ई-मेल यादृच्छिक तरीके से बाँटे जाते हों, वहाँ आमतौर पर एक हाइपरलिंक शामिल होता है, जो अक्सर कोडीफाइड होता है ताकि हाइपरलिंक गंतव्य प्राप्तकर्ता को स्पष्ट नहीं हो। एक बार प्राप्तकर्ता हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो वह एक जाली वेबसाइट पर चला जाता है, जो बैंक की वेबसाइट की नकल होती है। प्राप्तकर्ता को इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाता है। फिर वे यूज़र आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों तक पहुँच जाते हैं।

5. मॉलवेयर पर आधारित फ़िशिंग हमले :

ट्रोजन (मैलवेयर) का प्रकार किसी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में प्रवेश करता है। इस ट्रोजन की कई क्षमताएं है, लेकिन आम तौर पर जब उपयोगकर्ता किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट तक पहुँचता है और लॉग करता है तो ट्रोजन भी लॉगिंग कर लेते हैं या स्क्रीन की एक छवि तैयार कर लेते हैं। फिर यह जानकारी साइबर अपराधियों तक भेज दिया जाता है।

फ़िशिंग हमलों से बचाव :

फ़िशिंग हमलों के शिकार होने से बचने के निम्न तरीके हैं :

जब तक आप हाइपरलिंक के गंतव्य के बारे में सुनिश्चित न हों ई-मेल में दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक न करें। हाइपरलिंक आपको जाली वेबसाइट पर ले जा सकते हैं और आपसे कुछ व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी पूछ सकते हैं या चुपके से आपके कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर स्थापित कर सकते हैं।

6. एसएसएल प्रमाण (https://) की जाँच करें :

जब भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज करें, हमेशा सुनिश्चित करें कि वेबसाइट का पता (यूआरएल) https:// के साथ शुरू होता है न कि http:// (https:// में 'एस' का ध्यान रखें)। साथ ही यूआरएल में उपयुक्त एसएसएल प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच कर लें।

किसी पॉप अप विंडो में व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी कभी भी दर्ज न करें।

ई-मेल में दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर पॉप अप विंडो का खुलना फिशिंग का एक आम तरीका है।

किसी अज्ञात स्रोत से कभी भी सॉफ्टवेयर या फाइल डाउनलोड न करें।

अज्ञात स्रोतों से सॉफ्टवेयर या फाइल डाउनलोड करते वक़्त आपके कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम (ट्रोजन) चुपके से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग करते समय क्या करें और क्या ना करें :

क्या करें :

- अपने खाते और लेन-देन के इतिहास की नियमित रूप से जांच करें।
- हमेशा इंटरनेट बैंकिंग साइट पर सीधे जाएँ या वेबसाइट के माध्यम से https://www.psbindia.com अथवा कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से।
- आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जानकारी को सुरक्षित और छिपाकर रखें।
- यदि आपको लगता है कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते वक़्त किसी ने आपका पासवर्ड जान लिया है तो जल्द ही अपना पासवर्ड बदल लें।
- उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालने से पहले सुनिश्चित कर लें कि पते की जगह https:// प्रदर्शित है न कि http:// साथ ताला के चिन्ह का होना भी सुनिश्चित करें।
- ताला पर डबल क्लिक करके वेबसाइट के डिजिटल प्रमाण-पत्र की जाँच करें। डिजिटल प्रमाण-पत्र पर ग्राहक का नाम और वेब पता होना चाहिए।
- उपयोगकर्ता केवल प्रमाणित मुख्य पृष्ठ पर ही आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- फ़र्जी वेबसाइटों से बचने के लिए प्रदर्शित डोमेन नाम की जाँच करें।
- अपने कंप्यूटर को नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ अद्यतन रखें।
- व्यक्तिगत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले किसी भी ई-मेल में विश्वास न करें।
- कभी-कभी कंप्यूटर में किसी गुप्त सपाइवेयर को दूर करने के लिए एंटी स्पाइवेयर टूल का प्रयोग करें।
- अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल और प्रिंटिंग सुविधा को ऑफ रखें।
- बैंक द्वारा दी गई सलाह और वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- आवश्यकता न होने पर पूरी तरह से अपनी ऑन-लाइन बैंकिंग वेबसाइट से लॉग-आउट करें, ब्राउज़र को बंद करें और अपने पीसी से लॉग ऑफ करें।
- जब आप पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग पर लॉगिन करते हैं तो सिस्टम द्वारा स्वतः दिए गए पासवर्ड को अवश्य बदलें।
- कृपया अपने वेब ब्राउज़र को समस्त सुरक्षा पैचों के साथ अद्यतन रखें।

क्या न करें :

- साइबर कैफे और सांझा पीसी पर इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग न करें।
- इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग ई-मेल में दिए गए लिंक या अन्य वेबसाइट के लिंक के माध्यम से न करें।
- उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड आदि जानकारी को किसी को न बताए।
- किसी ई-मेल या टेलीफोन पर व्यक्तिगत जानकारी न बताएं।
- जब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का संचालन कर रहे हों तो अन्य ब्राउज़र को न खोले रखें।
- यदि आपको किसी भी गड़बड़ी का संदेह हो तो कोई भी निर्णय लेने से पहले बैंक से संपर्क करें।
- जो भी पृष्ठ पॉप-अप द्वारा खुला हो उस पर अपनी वैयक्तिक जानकारी न दें।
- आप पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग में प्रवेश या पिन की मांग करने वाले ई-मेल का जवाब नहीं दें। कोई भी बैंक अपना पिन या पासवर्ड नहीं मांगेगा। आप बैंक में कॉल करके वास्तविक स्थिति का पता कर सकते हैं।
- संदिग्ध/अज्ञात ई-मेल पर भरोसा न करें और ई-मेल में प्रपत्र भरने से बचें।
- फिशिंग से बचने के लिए किसी अज्ञात फाइल या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड न करें।

उपरोक्त दी गयी सावधानियों का प्रयोग करके एक ओर ग्राहक जहाँ तकनीकी से जुड़कर शीघ्र व त्वरित बैंकिंग सुविधा का लाभ उठायेंगे, वहीं दूसरी ओर अनचाही समस्याओं से भी दूर रहेंगे।

कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट बैंकिंग से एक ओर जहाँ कई सुविधाएं प्राप्त होती है। वहीं थोड़ी सी भी सावधानी कई समस्याओं का कारण बन सकती है।

- प्र.का. आई.टी. विभाग, नई दिल्ली

दिनांक 31 अक्तूबर 2012

पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में

'सतर्कता जागरूकता एवं बचाव के उपाय'

पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस., कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करते हुए। चित्र में श्री के. डी. त्रिपाठी, आई.ए.एस., सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं श्री एम. जी. श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी व महाप्रबंधक भी दृश्यमान हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस., कार्यशाला में सहभागियों को संबोधित करते हुए।

श्री के. डी. त्रिपाठी, आई.ए.एस. एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सचिव 'सतर्कता जागरूकता एवं बचाव के उपाय' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए।

श्री एम. जी. श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधक 'सतर्कता जागरूकता एवं बचाव के उपाय' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए।

मंच पर उपस्थित बैंक के उच्चाधिकारीगण।

कार्यशाला में उपस्थित बैंक के स्टाफ़-सदस्य।

दिनांक 29 अक्टूबर से 03 नवंबर 2012 तक प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. बैंक के उच्चाधिकारियों के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ ग्रहण करते हुए।

प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग के स्टाफ़ सदस्यों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ ग्रहण करवाते हुए बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एम. जी. श्रीवास्तव।

बैंक की चिकपेट शाखा की ओर से इण्डियन रेडक्रास सोसायटी को फोटो कॉपी मशीन दान की गई। इस अवसर पर उपस्थित श्री डी. डी. नाग, महाप्रबंधक तथा श्री एस. एस. परमार आंचलिक प्रबंधक चेन्नै।

आंचलिक कार्यालयों के स्तर पर आयोजित

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह'

की झलकियाँ

मोगा जिले की शाखाओं द्वारा
दिनांक 16 नवम्बर 2012 से दिनांक 30 नवम्बर 2012 तक आयोजित विशेष कृषि ऋण-वितरण समारोह की झलकियाँ

दिनांक 5.12.2012 को जिला मोगा में ए. डी. सी. मोगा, डॉ. जोराम बोदा की अध्यक्षता में आयोजित ज़िला स्तरीय बैंकर्स कमेटी मीटिंग की झलकियाँ।

हिंदी-पंजाबी कार्यशालाएँ

आंचलिक कार्यालय, अमृतसर (ग्रामीण), दिनांक 30.10.2012

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़-I, दिनांक 08.11.2012

आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली-II, दिनांक 19.11.2012

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़-II, दिनांक 21.11.2012

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा, दिनांक 29.11.2012

आंचलिक कार्यालय, होशियारपुर, दिनांक 07.12.2012

आंचलिक कार्यालय, जालंधर, दिनांक 11.12.2012

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-I, दिनांक 12.12.2012

गतिविधियाँ

दिनांक 15 नवम्बर, 2012 विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित वित्त-मंत्री की बैठक के दौरान बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस. तथा वित्त-मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एवं बैंक के निदेशक श्री रजत सच्चर का स्वागत करते हुए भारतीय बैंक संघ के सलाहकार एवं बैंक के पूर्व महाप्रबंधक श्री जे. एस. कथूरिया।

लखनऊ बैंकर्स क्लब के सौजन्य से दिनांक 07.10.2012 को लखनऊ को स्वच्छ एवं हरित रखने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ एवं मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्लोगन प्रतियोगिता भी हुई। इसमें हमारे बैंक की ओर से श्री पवन कुमार जैन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर हुए पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान श्री एच. आर. खान, उप गवर्नर महोदय पुरस्कार प्रदान करते हुए।

लखनऊ बैंकर्स क्लब के सौजन्य से दिनांक 07.10.2012 को लखनऊ को स्वच्छ एवं हरित रखने के उद्देश्य से निर्मित की गई मानव श्रृंखला के दौरान हमारे बैंक के कार्मिक हाथों में प्लेकार्ड लेकर संदेश देते हुए। इस अवसर पर श्री जे. एस. नारंग, आंचलिक प्रबंधक महोदय ने भी उत्साहवर्धन किया।

श्री सुरजीत सिंह संधु, अधिकारी शाखा पुतलीघर ने 42389000/- रुपए कासा में सितंबर माह के दौरान जमा-संग्रहण लाकर दिया। पी.एस.बी. परिवार को इन पर गर्व है।

आंचलिक कार्यालय जालंधर के अधीन नई शाखा महितपुर के शाखा प्रबंधक श्री बिमलेश प्रसाद के प्रयासों के फलस्वरूप शाखा ने रूपए 101.27 लाख के जमा के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। पी.एस.बी. परिवार को इन पर गर्व है।

गतिविधियाँ

बैंक द्वारा एन.एस.आई.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री विजय श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक श्री बलजीत सिंह सिब्बल, मुख्य प्रबंधक श्री हरजीत सिंह, एवं एन.एस.आई.सी. के निदेशक (वित्तीय) श्री रविन्द्र नाथ उपस्थित थे।

दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तखत श्री हरिमंदिर पटना साहिब को नोट गिनने वाली मशीन भेंट की गई। इस अवसर पर तख़्त श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी अरदास करते हुए। चित्र में बैंक अधिकारी भी परिलक्षित हैं।

वित्तीय-समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आंचलिक कार्यालय बरेली की प्रथम अत्यंत छोटी शाखा का गाँव-उत्तरसिया मोहलिया में शाखा-शाहगढ़ (बहेड़ी) के अधीन दिनांक 30.11.2012 को उद्घाटन के अवसर पर लिए गए चित्र।

सुश्री राजमनदीप कौर सपुत्री श्री त्रिलोचन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक शाखा झबाल ने पी.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की। पी.एस.बी. परिवार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

मास्टर राहुल निषाद सपुत्र श्री घनश्याम निषाद दफ्तरी शाखा आसिफ़ अली रोड़, नई दिल्ली ने क्रिकेट टूर्नामेंट में 'लिटिल मास्टर' टीम की ओर से माउंट क्लब को परास्त किया। इसके लिए पी.एस.बी. परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।

बैंक द्वारा ग्रामीण स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्ग

ित चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकियाँ

नई शाखाएँ

दिनांक 13.09.2012, शाखा नाभा

दिनांक 17.09.2012, शाखा लक्ष्मीपुर, जिला कटिहार

दिनांक 18.09.2012, शाखा गाँव चब्बेवाल, ज़िला होशियारपुर

दिनांक 19.09.2012, शाखा नेर चौक, ज़िला मंडी

दिनांक 20.09.2012, शाखा सेहोरे

दिनांक 24.09.2012, शाखा अशोक नगर

नई शाखाएँ

दिनांक 24.09.2012, शाखा सफ़रुद्दीन ज्वाली, गाज़ियाबाद

दिनांक 24.09.2012, शाखा बून्दी

दिनांक 25.09.2012, शाखा सवाई माधोपुर

दिनांक 26.09.2012, लघु शाखा प्रभाग, जाँजी, बिलासपुर

दिनांक 26.09.2012, शाखा रीसामा दुर्ग

दिनांक 26.09.2012, शाखा भद्रक

नई शाखाएँ

दिनांक 26.09.2012, शाखा हमज़ेरी, ज़िला-पटियाला

दिनांक 27.09.2012, शाखा कामाही देवी

दिनांक 27.09.2012, शाखा कोटद्वार

दिनांक 27.09.2012, शाखा मानसा

दिनांक 28.09.2012, शाखा बहादुर के रोड, ज़िला लुधियाना

दिनांक 28.09.2012, शाखा गुमानीवाला

नई शाखाएँ

दिनांक 28.09.2012, शाखा राजा सांसी, ज़िला अमृतसर

दिनांक 28.09.2012, शाखा कागीवाला, बिजनौर

दिनांक 28.09.2012, शाखा गाँव नवादी, धनबाद

दिनांक 11.10.2012, शाखा बराड़ा

दिनांक 16.10.2012, शाखा अटारी

दिनांक 06.11.2012, शाखा महितपुर

राजभाषा समाचार

...का 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' की जुलाई-सितम्बर 2012 अंक का विमोचन ...ते हुए कार्यकारी निदेशक महोदय। चित्र में संपादक मंडल के सदस्य एवं बैंक के ...धिकारी परिलक्षित हैं।

कार्यकारी निदेशक महोदय 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' की प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए। चित्र में पत्रिका के मुख्य संपादक तथा महाप्रबंधक श्री डी. डी. नाग, श्री जे. एस. सचदेवा, महाप्रबंधक, श्री एम. जी. श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं श्री हर्षबीर सिंह, महाप्रबंधक श्री दृश्यमान हैं।

...लिक कार्यालय (अमृतसर) को अमृतसर नराकास की ओर से तृतीय स्थान हेतु ...कृत किया गया। इस अवसर पर लिया गया छायाचित्र।

नराकास अमृतसर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हेतु पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री कुलविंदर सिंह।

...लिक कार्यालय, जालंधर को नराकास (बैंक) की राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में तृतीय ... प्राप्त हुआ। गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री शैलेश कुमार सिंह, ...लिक कार्यालय उप प्रमुख श्री अमरजीत सिंह तुली व राजभाषा अधिकारी अभिनव ...म को शील्ड प्रदान करते हुए।

दिनांक 27.09.2012 को आंचलिक कार्यालय, अमृतसर द्वारा नराकास स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के अवसर पर प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए राजभाषा अधिकारी श्री प्रेम सिंह। चित्र में मंचासीन श्री कुलबीर सिंह उप महाप्रबंधक, श्रीमती नीनिया धारीवाल, सचिव 'नराकास' अमृतसर एवं श्री श्याम सुन्दर शर्मा वरिष्ठ प्रबंधक पी.एन.बी.।

दिल्ली बैंक नराकास

अंतः बैंक गृह-पत्रिका प्रतियोगिता में बैंक की पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को प्रथम पुरस्कार दिया गया, इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए उप महाप्रबंधक व प्रभारी राजभाषा।

अंतः बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में बैंक को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए उप महाप्रबंधक व प्रभारी राजभाषा।

हिंदी बैंक नराकास के तत्वावधान में बैंक द्वारा आयोजित 'हिंदी ज्ञान-विज्ञान क्विज़ प्रतियोगिता (लिखित) के विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए श्री गुरनाम सिंह, उप महाप्रबंधक।

प्रधान कार्यालय, जोखिम प्रबंधन विभाग में कार्यरत श्री अजय अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक, तीन प्रतियोगिताओं हिंदी अनुवाद, हिंदी समाचार-वाचन और बैंकिंग हिंदी ज्ञान (लिखित) में तृतीय स्थान हेतु विजेता घोषित किए गए। चित्र में पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री अजय अरोड़ा।

प्र.का. अनुशासनात्मक कारवाई कक्ष में कार्यरत सुश्री हरिन्द्र कौर-सिंगल विंडो ऑपरेटर 'स्वरचित हिंदी ग़ज़ल प्रतियोगिता' में तृतीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

कवि-सम्मेलन

चण्डीगढ़ नराकास के तत्वावधान में आयोजित कवि-सम्मेलन के दौरान दीप प्रज्वलित करके शुभारम्भ करते हुए महाप्रबंधक महोदय।

कवि-सम्मेलन में उपस्थित कविगण।

उपस्थित कवियों एवं श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए महाप्रबंधक महोदय।

उक्त सम्मेलन के दौरान उपस्थित श्रोतागण।

सतर्कता दिवस के अवसर पर स्लोगन प्रतियोगिता में

विजयी स्लोगन

न सहो, न करो, न होने दो भ्रष्टाचार।
यही है मानव का सबसे बड़ा शिष्टाचार।।

श्री सोनी कुमार
प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।

तू पैसा-पैसा करता है और भ्रष्टाचार भी करता है।
इक बात मुझे बतला दे, तू पैसे का क्या करता है।।

श्रीमती नीलम मल्होत्रा
प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।

भ्रष्टाचार उन्मूलन ही है जादू की पुड़िया।
यदि बनाना है देश को फिर से सोने की चिड़िया।।

श्रीमती नीरू पाठक
प्र.का. विधि एवं वसूली विभाग, नई दिल्ली।

Corruption - A malaise to society,
a disease than the deadliest
diseases of the world.

सुश्री सौम्या गुप्ता
प्र.का. सतर्कता विभाग, नई दिल्ली।

Pollution by Corruption leads
to our Destruction.

श्री आई. पी. सिंह
आंचलिक कार्यालय, हरियाणा।

Honesty pays Honors and
Corruption Dishonors.

श्री अमरजीत सिंह अरनेजा
प्र.का. सतर्कता विभाग, नई दिल्ली।

काव्य-मंजूषा

संस्कृत की लाड़ली बेटी

- कैप्टन रनवीर सिंह

संस्कृत की एक लाडली बेटी है यह हिंदी।
बहनों को साथ लेकर चलती है यह हिंदी।।
सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है।
ओजस्विनी है और अनूठी है यह हिंदी।।
पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, यह सुगम है।
साहित्य का असीम सागर है, यह हिंदी।।
तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है।
कवि सूर के सागर की गागर है यह हिंदी।।
अंग्रेज़ी से भी इसका कोई बैर नहीं है।
उसको भी अपनेपन से लुभाती है यह हिंदी।।
यूँ तो देश में कई भाषाएँ और हैं।
पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है यह हिंदी।।

-प्र.का. सुरक्षा विभाग, नई दिल्ली

खुशी तो तेरे पास है

- शम्पा शाह

आँखों में झूठी आस है
तू क्यों उदास है
यदि उकेरने की प्यास है,
खुशी तो तेरे पास है
पर से विमुख हो तो बात है
आँख बंद कर तो उछास है
अन्तस का आनंद ही ख़ास है
खुशी तो तेरे पास है।

-प्र.का. मानव संसाधन विकास विभाग
नई दिल्ली

हे डॉलर!

-सोमेन्द्र शंकर तिवारी

हे डॉलर!
रुपए का पकड़ लिया तूने कॉलर,
ज़ोर-ज़बरदस्ती से,
इसे गिरा रहे हो,
गाँधी के सपने को,
क्यों रुला रहे हो।

अभी ही तो मिला था,
इसे नया प्रतीक-चिन्ह,
बेज़ान पड़ा,
शरीर छिन्न-भिन्न।
नही रास आई,
तुम्हें इसकी नई काया,
मुश्किल है समझना,
तुम्हारी सियासी माया,

मगर मत भूलो,
मंदी की मार इसी ने सही थी,
तुम्हारी सत्ता तो ताश के
पत्तों की तरह ढही थी।
आज यह वक़्त का मारा है,
मगर भविष्य का चमकता सितारा है।

- आंचलिक कार्यालय, लखनऊ

बचपन की बेफ़िक्री

- सुश्री कविता

बचपन की बेफ़िक्री न जाने कहाँ खो गई,
अब दौर ऐसा आया ज़िंदगी
भागती-दौड़ती सी हो गई।
रुपए-पैसे, शानो-शौकत का अमली
जामा ओढ़ लिया,
पर बचपन के हर सुकून ने हमसे मुँह
मोड़ लिया।
और पाने की इच्छा सुरसा सी हो गई,
बचपन की बेफ़िक्री न जाने कहाँ खो गई,
"मैं" "तुम" की परिभाषा आज हर बात
पर समझाते हैं,
"हम" के दायरे से बचपन को कभी बाहर
नहीं निकाल पाते हैं।
"प्यार" "अपनेपन" की चाहत
कल की बात हो गई,
बचपन की बेफ़िक्री न जाने कहाँ खो गई,
.....न जाने कहाँ खो गई,

- आंचलिक कार्यालय, जालंधर

कहाँ गया बचपन

- अमरजीत सिंह अरनेजा

कहाँ गया बचपन गलियों में
गलियारों में, आँगन में
स्कूलों में, बागों में
खलियानों में खेला करता था बचपन।
मौज थी मस्ती थी
खुशी हर जगह बसती थी
वो माँ के हाथों से खाना
घूमना-फिरना, नाचना-गाना।
दादी की कहानी होती थी
परिंदों का फ़साना होता था।
सबके चेहरे पर था भोलापन
खेला करता था बचपन
न जाने कैसा प्रहार हुआ
विकास के नाम पर अत्याचार हुआ
बचपन अब लाचार हुआ.....

- प्र.का. सतर्कता विभाग, नई दिल्ली

काव्य-मंजूषा

आशाओं के दीप

- दर्शन सिंह

आशाओं के दीप प्रज्जवलित रहने दो
कहती है गुर दुनिया कुछ तो कहने दो,
मंज़िल की ओर बढ़ते कदमों को
कभी ना रोकना....
दृढ़ निश्चय से खिलते भाग्य को
कभी ना कोसना....
आख़िरी छोर को अंत मान... यूँ ही
कभी ना रुकना...
लक्ष्य पाने के लिए हरेक रुकावट
को उखाड़ दो
कहती है गुर दुनिया कुछ तो कहने दो,
पंछी भी जानते हैं, भोर का होना
सांझ का ढलना...
बेजुबाँ भी देखते हैं, सूरज की रोशनी
चाँद का चमकना...
खाने को नित तलाशते...
नियम अधीन होता है
जिनका खाना... सोना....
बढ़ोगे कैसे जीवन में,
कुछ तो अनुशासन रहने दो
कहती है गुर दुनिया कुछ तो कहने दो।
पुष्प मुरझाते हैं, होता तब नव कलियों
का खिलना...
मौसम बदलते हैं, हर्षाएं जीव...जंतु...जन
देख रिमझिम का होना...
राह चुनते हैं कर्मठ, बेशक रहे अनंत
पगडंडियों का होना...
आशाओं के दीप प्रज्जवलित रहने दो
कहती है गुर दुनिया कुछ तो कहने दो,

- स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़

कभी सोचता हूँ तो ....

- सोनी कुमार

कभी सोचता हूँ तो,
तन्हाई सी छा जाती है चारो तरफ,
और मैं अकेला सा पाता हूँ, खुद को।
कभी सोचता हूँ तो,
अनेकों सवालों से घिर जाता हूँ,
और फिर जवाब नहीं दे पाता हूँ, खुद को।
कभी सोचना हूँ तो,
जाने वो कौन सी मंज़िल है जिसे पाना है,
फिर उस मंज़िल से बहुत दूर पाता हूँ,
खुद को।
कभी सोचता हूँ तो,
एक अजीब सी उलझन चलती रहती है
मन में,
इस उलझन से बाहर नहीं निकाल पाता हूँ,
खुद को।
कभी सोचता हूँ तो,
मन डूबने लगता है आत्म-चिन्तन में,
पर फिर भी जान नहीं पाता हूँ, खुद को।
कभी सोचता हूँ तो,
शायद मैंने कोशिशें की हैं अनेक,
लेकिन क्यों नहीं कर पाया हूँ, खुद को।
कभी सोचता हूँ तो,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
बस यही तसल्ली देता रहता हूँ, खुद को।
कभी सोचता हूँ तो,
कभी न कभी तो पहचानेगी दुनिया मुझे भी,
मैं एक दिन सपनों में अपने उतार लूंगा,
खुद को।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

ख़्वाब

- हरिन्दर कौर

जाने कल एक ख़्वाब कहाँ से,
मेरी नींदों में उतर आया।
सुंदर सा बहुत मासूम था वो,
जो भी उसमें, उस पल था नज़र आया।।
पर क्या कहना चाहता था
वो ना समझा पाया।
नींद से खुद को जगाया तो
कुछ बिखरी टूटी कड़ियों से,
खुद को था बंधा पाया।।
खुद को रिहा कराने को
उनको जब जोड़ा तो,
होठों पे मुस्कुराहट को
एक नये अंदाज़ में था पाया
सब जाना-पहचाना था,
कुछ नया कुछ पुराना सा,
धुंधली तस्वीरों से तब,
उभर कर था सामने आया।।
सुंदर सा बहुत मासूम था वो,
जो भी उसमें, उस पल था नज़र आया।।

- प्र.का. मानव संसाधन विकास विभाग,
नई दिल्ली

रहिमन धागा प्रेम का....

- दिनेश कुमार गुप्ता

हिंदी के प्रसिद्ध कवि 'रहीम' कहते हैं कि प्रेम एक धागे की तरह है, जिसे चटका कर मत तोड़ो क्योंकि टूटने पर फिर नहीं जुड़ पाता है और यदि जुड़े भी तो गांठ पड़ जाती है। धागा या बात पहले जैसे नहीं रहते। तो फिर क्यों न हम प्रेम की गंगा बहाते चलें। पड़ोसियों को न जानने में कोई श्रेष्ठता नहीं है। उनके प्रति प्रेम-भाव रखें। बाइबिल तो कहती है - Love thy neighbour as thyself. मुस्कान प्रेम की भाषा है और गैरों को भी अपना बनाने की क्षमता है इसमें। क्या यह केवल एक संयोग है कि आज के असली सुपरस्टार सलमान खान का उनकी अधिकतर फिल्मों में नाम 'प्रेम' ही रहा है और प्रसिद्ध साहित्यकार 'प्रेमचंद' रहे हैं।

इतिहास के कई प्रेमी-युगल प्रसिद्ध हुए है - हीर-रांझा, शीरी-फरहाद, रोमियो-जुलियट, लैला-मजनूं परंतु अमरत्व तो राधा-कृष्ण का प्रेम ही पा सका है। राधा और कृष्ण दो नाम होते हुए भी एक है। कृष्ण से एक बार पूछा गया कि आपका और राधा का अटूट प्रेम था, फिर आपने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। उनका उत्तर था कि विवाह के लिए तो दो लोग चाहिए मैं और राधा तो एक ही हैं तो विवाह कैसे संभव हो सकता था।

मीरा तो कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी हुई, ऐसी लग्न लगी कि राणा जी का भेजा विष का प्याला भी अमृत हो गया। मदर टेरेसा के निर्मल हृदय में भी सभी के लिए प्रेम का वास था। सच्चा प्रेम तो वाकई अंधा होता है। एक मत है कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। फूल को पसंद करने वाले उसे डाली से तोड़ लेते हैं और फूल को प्रेम करने वाले उसके खिलने और लहलहाते रहने में सहायक बनते हैं और उससे आनंदित होते हैं।

प्रभु, प्रेम के भूखे हैं, धार्मिक आडम्बरों के नहीं। किसी ने अपने घर पर क्या खिलाया से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने कैसे खिलाया। तुलसीदास तो कहते हैं कि जहाँ प्रेम-भाव नहीं है, वहाँ कदापि न जाइए :

आवत ही हरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह।
तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह।।

प्रेम की महिमा देखिए कि हिंदी साहित्य का भक्तिकाल ईश्वर के प्रति प्रेम से परिपूर्ण रचनाओं का युग है, तो रीतिकाल श्रृंगार-रस से ओत-प्रोत प्रेमी-प्रेमिका के प्रेम के चित्रण का। अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में दीवाने रामबोला को उसकी झिड़की कि ऐसी ही प्रीति श्रीराम में होती तो आपने भवसागर पार कर लिया होता, ने ही अमर भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास बनाया।

प्रेम पर समाज के प्रेम घोपड़ा जैसे ठेकेदारों की वक्र दृष्टि रहती है। खाप, पंचायतों के प्रेमी-जोड़ों पर जुल्मो-सितम के किस्से हम आये दिन पढ़ते हैं। एक शायर ने खूब कहा है :

ये इश्क नहीं आसां, बस इतना समझ लीजे,
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।

प्रेम आसक्ति नहीं है, प्रेम वासना नहीं है। प्रेम, प्रीति, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव सब एक ही है। पोथी पढ़ने वाला नहीं अपितु प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ने व समझने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम न तो किसी बाड़ी में उपजता है और न किसी हाट में बिकता है।

प्रेम तो है परमात्मा, पावन अमर विचार
इसको कोई समझे नहीं, महज़ एक व्यापार।।

निःस्वार्थ प्रेम तो माँ का अपनी संतान के प्रति माना गया है। अपनी पत्नी के बरगलाने पर अपनी माँ की हत्या कर उसका दिल निकाल कर पत्नी को भेंट करने आ रहे पुत्र को जब ठोकर लगी तो माँ का प्रेम बोल उठा "बेटा, चोट तो नहीं लगी"। भाई-बहन का पावन प्रेम हमारे देश में धागों के त्यौहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। मेल-मिलाप और प्रेम के रंगों के त्यौहार होली का तो कहना ही क्या। प्रेम के प्रतीक ताज महल को देखे बिना तो किसी भी विदेशी अतिथि की भारत यात्रा संपूर्ण नहीं होती। प्रेम की महत्ता तो इतनी है कि टेनिस, बैडमिन्टन, टी.टी. आदि खेलों में गेम की शुरूआत ही अम्पयार के Love all Play से होती है।

- सेवा निवृत्त मुख्य सतर्कता अधिकारी

भ्रष्टाचार-कारण और निवारण

- नीलम मल्होत्रा

भ्रष्टाचार आज के समय का ज्वलंत विषय है। इसे किसी भी प्रकार से शब्दों में बांधना या इसे परिभाषित करना असंभव ही नहीं नामुमकिन है। वैसे आम बोलचाल में स्वयं के आर्थिक या भौतिक लाभ हेतु, अपने परिजनों या मित्रों के हित के लिए या किसी काम करने के लिए अपने ओहदे या प्रशासनिक शक्तियों के गलत प्रयोग या किसी काम को पूरा करने के लिए छोटे रास्ते को अपनाने आदि के लिए किए गए कार्य भ्रष्टाचार में शामिल किए जा सकते हैं।

आज भ्रष्टाचार का भूत भारत ही नहीं लगभग सभी छोटे-छोटे देशों में एक समान देखने को मिलता है। हाँ केवल आंकड़ों में अंतर अवश्य हो सकता है। भ्रष्टाचार आज का रोग नहीं है। किसी न किसी रूप में यह प्रत्येक देश में अपने फन फैलाए हुए है। यह कहना आसान नहीं होगा कि इसका उद्भव कब हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सभी देशों में इसके नाम का डंका तेज़ी से बजने लगा है। यही स्थिति भारत की भी है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि भारत में इसने प्रत्येक क्षेत्र में अपने पांव पसारे हुए है।

भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले पाँच दशकों में कई बार सरकारों को गिराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के मामले में किसी प्रकार की कोई गिरावट दिखाई नहीं पड़ी। इसके विपरीत यह दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करता ही जा रहा है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नज़र नहीं आता जहाँ बिना कुछ लिए दिए काम करवाया जा सके। कहने को भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर तंत्र नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। बल्कि तंत्र लोगों पर नियंत्रण करने लगा है। आवश्यकता इस बात की है कि तंत्र लोगों के द्वारा निर्देशित हो और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करें। लोकतंत्र की भूमिका केवल प्रबंधन के स्तर तक और प्रतिनिधित्व के स्तर तक सीमित रहनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आंदोलन करने और लड़ाई छेड़ने से पहले हमें भ्रष्टाचार को समझने की आवश्यकता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को अपने ही तरीके से करवाने में सिद्धहस्त हो गया है। किसी भी प्रकार के काम को करवाना आज लगभग बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि हर कोई जानता है कि कुछ ले-दे कर उसका काम आसानी से हो ही जाएगा। उसे मालूम है कि नियम तो बनाये ही तोड़ने के लिए जाते हैं। हमें भ्रष्टाचार की परिभाषा तय करनी होगी तथा उसकी मात्रा का भी पता लगाना होगा। इसके बाद भ्रष्टाचार से निपटने का समाधान और यह समाधान कौन करेगा यह भी हमें तय करना होगा। इसके बाद हमको भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की ओर बढ़ना होगा।

अपराधों के वर्गीकरण की आवश्यकता :

भारत में नागरिकों को तीन प्रकार के बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं : 'मूलभूत अधिकार', 'संवैधानिक अधिकार' एवं 'सामाजिक अधिकार'। यदि कोई व्यवस्था या व्यक्ति किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो यह 'कानून के विरुद्ध' की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के सामाजिक अधिकारों का हनन होता है तो यह अनैतिकता की श्रेणी में आएगा। इन तीनों का वर्गीकरण करने पर देश भर में अपराधियों की संख्या केवल 2 प्रतिशत ही रह जाती है। ऐसे में हमारी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह केवल 2 प्रतिशत अपराधों पर ही नियंत्रण का कार्य करें। बाकी की चिंता छोड़ दें। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाला कौन है?हमारे अधिकारों का हनन करने वाले वह लोग हैं, जिनको हमने अपने अधिकार अमानत में दिए हैं और उनको अपने अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया है। हमारे द्वारा दी गयी अमानत में ख्यानत करने वाले ही मुख्य रूप से अपराधी है और वह हैं हमारे राजनेता। अब हमें इन अपराधों पर नियंत्रण करने के उपायों के बारे में विचार करना होगा।

सप्ताह के अंतराल में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, जिन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। 'सुकना भूमि घोटाले' में थलसेना के पूर्व उपप्रमुख मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल पी. के. रथ को कोर्ट मार्शल में दोषी करार दिया गया है। 'जूलियन असांजे' ने दावा किया है कि स्विस बैंकों में जमा काले धन की संपूर्ण जानकारी उनके पास उपलब्ध है और वे इसे शीघ्र ही अपनी वेबसाइट विकीलीक्स के माध्यम से दुनिया के सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद कैबिनेट में काले धन के बारे में चर्चा आरंभ हुई। इसी सिलसिले में प्रधान मंत्री ने मंत्री समूह को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार पर नकेल डालने से संबंधित उपायों की चर्चा की है। प्रमुख उद्योगपति "अज़ीम प्रेमजी" सहित देश के 14 प्रमुख नागरिकों ने विभिन्न नेताओं को एक पत्र लिख कर देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। यह एक अच्छी शुरूआत है, परंतु इन लोगों ने सिर्फ़ भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं सुझाई है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो भ्रष्टाचार से नाखुश नहीं है क्योंकि यह वर्ग भ्रष्टाचार से लाभान्वित होता है। इस वर्ग में

राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, न्यायाधीश, व्यवसायी, पत्रकार, मीडिया उच्च घरानों के मालिक आदि समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं।

सदा से ही यह माना जाता रहा है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और असीम शक्ति व्यक्ति को पूर्णतः भ्रष्ट बनाती है। यह सच भी है। जब व्यक्ति पर कोई अंकुश न हो तो उसके भ्रष्ट होने की संभावनाएं सचमुच बढ़ जाती हैं। परंतु यह भी सच है कि शक्ति का दूसरा पहलू भय है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थोड़ा और गहराई से देखें तो हम पायेंगे कि भय और शक्ति के साथ-साथ लालच और ईर्ष्या भी भ्रष्टाचार के जनक हैं। आइये! ज़रा इसे समझने का प्रयत्न करें।

हाल ही में कई घोटाले चर्चा का कारण बने। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला और आदर्श सोसायटी घोटाला इनमें प्रमुख थे। यह सभी घोटाले किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के पास असीम शक्ति होने के कारण घटित हो सके। निःसंदेह भविष्य की असुरक्षा का भय भी भ्रष्टाचार को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए सत्तासीन होता है तो वस्तुतः भविष्य की अनिश्चितता और असुरक्षा के भय से ग्रस्त होता हैं। अनिश्चित भविष्य उसे अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के लिए प्रेरित करता है। जिसके परिणामस्वरूप वह भ्रष्ट तरीकों से धन इकट्ठा करने लगता है। चुनावों में जनादेश यदि खंडित हो तो संयुक्त सरकारें सत्ता में आती है। सरकार बनाने के लिए सांसदों और विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त, संयुक्त सरकार के दलों को खुश रखने के लिए किए जाने वाले समझौते भी भ्रष्टाचार के जनक हैं।

दूसरी ओर, प्रशासनिक अधिकारियों को नौकरी से हटाना आसान नहीं हैं। उनके निलंबन और स्थानांतरण को ही उन्हें दण्ड देने का तरीका माना जाता है। परंतु सजा का यह बहुत कमज़ोर तरीका है। दरअसल, अक्सर निलंबन और स्थानांतरण तो पुरस्कार बन जाते हैं। यदि कोई अधिकारी लंबे समय तक निलंबित रहे तो उसे बिना काम किये और बिना किसी जवाबदेही के, घर बैठे ही, अपने वेतन का एक बड़ा भाग प्राप्त होने लगता है और वे अधिकारी अपने इस खाली समय में और अधिकारिक संपर्कों का लाभ लेकर कई तरह के व्यवसाय आरंभ कर लेते हैं और दुगुनी कमाई करने लगते हैं। स्थानांतरण तो सज़ा है ही नहीं। कोई अधिकारी कलकत्ता में रह कर भ्रष्टाचार करे या हैदराबाद में रह कर, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नये संपर्क बनाने में बस थोड़ा सा ही समय लगता है और भ्रष्ट अधिकारी अपने पिछले अनुभव के आधार पर ज़्यादा सतर्कता और ज्यादा कुशलता से फिर से भ्रष्ट रवैया अख़्तियार कर लेता है।

पिछले कुछ दिनों से अचानक भ्रष्टाचार का मुद्दा तूफ़ान की तरह उठा और पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया... ऐसा नहीं कि यह पहले कोई मुद्दा नहीं था या कभी उठाया ही न गया हो, किंतु जिस वृहद स्तर पर पूरे देश में इस पर चर्चा हुई.... लोग एकजुट हुए वह अपने आप में संभवतः पहली बार था। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो दो प्रश्न प्रमुखता से खड़े होते हैं। पहला तो यह कि आखिर भ्रष्टाचार का स्रोत कहाँ है... भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं... और दूसरा प्रमुख प्रश्न है कि इसका निवारण कैसे हो। आइए! हम यहाँ कुछ भौतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार करते हैं :

भ्रष्टाचार का स्रोत अथवा कारण :

1. नैतिकता का पतन : जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, आचरण का भ्रष्ट हो जाना ही भ्रष्टाचार है। आचरण का प्रतिनिधित्व सदैव नैतिकता करती है। किसी का नैतिक उत्थान अथवा पतन उसके आचरण पर भी प्रभाव डालता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति और सामाजिक परिवेश में बच्चों के नैतिक उत्थान के प्रति लापरवाही बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। एक बच्चा दस रुपये लेकर बाज़ार जाता है। दस रुपये में से अगर दो रुपये बचते हैं तो चाहे घर वालों की लापरवाही अथवा छोटी बात समझ कर अनदेखा करने के कारण, बच्चा उन दो रुपयो को छुपा लेता है और जब धीरे-धीरे यह आदत में शुमार हो जाता है तो इसी स्तर पर भ्रष्टाचार का पहला चरण शुरू होता है। अर्थात् जब जीवन की पहली सीढ़ी पर ही उसे उचित मार्गदर्शन, नैतिकता का पाठ और उचित-अनुचित में भेद करने का ज्ञान उसके पास नहीं होता तो उसका आचरण धीरे-धीरे उसकी आदत में बदलता जाता है। अतः भ्रष्टाचार का पहला स्रोत परिवार होता है जहाँ बालक नैतिक ज्ञान के अभाव में उचित और अनुचित के बीच भेद करने तथा नैतिकता के प्रति मानसिक रूप से सबल होने में असमर्थ हो जाता है।

2. सुलभ मार्ग की तलाश : यह मानव स्वभाव ही है कि किसी भी कार्य को व्यक्ति कम से कम कष्ट उठाकर प्राप्त कर लेना चाहता है। वह हर कार्य के लिए एक छोटा और सुगम रास्ता खोजने का प्रयास करता है। इसके लिए दो रास्ते हो सकते हैं... एक रास्ता नैतिकता का है जो लंबा और कष्टप्रद भी हो सकता है और दूसरा रास्ता है छोटा, किंतु अनैतिक हो सकता है। लोग अपने लाभ के लिए जो छोटा रास्ता चुनते हैं उससे स्वयं तो भ्रष्ट होते ही हैं दूसरों को भी भ्रष्ट बनने में बढ़ावा देते हैं। एक

कार चालक जिसके पास प्रर्याप्त प्रपत्र नहीं हैं। उसके लिए कई सौ रुपये जुर्माने अथवा निरूद्ध करने का प्रावधान हैं, किंतु इससे बचने के लिए वह आसान और छोटा रास्ता खोजता हैं। वह कोशिश करता है कि उसे नियमानुसार वास्तविक अर्थदण्ड की अपेक्षा किसी छोटे दण्ड से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए वह यह जानते हुए कि वह स्वयं भी भ्रष्टाचार कर रहा है और ट्रेफिक हवलदार को भी इसके लिए बढ़ावा दे रहा है फिर भी नियम तोड़ने से नहीं हिचकता और किसी प्रभावी व्यक्ति से दबाव डलवा कर कोई बहाना बनाकर अथवा कुछ कम आर्थिक लालच देकर वह आसानी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है।

3. आर्थिक असमानता : कई बार परिवेश और परिस्थितियाँ भी भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होती है। हर मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। जीवन-यापन के लिए धन और सुविधाओं की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएँ होती हैं। विगत कुछ दशकों में पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता तेज़ी से बढ़ी है। अमीर लगातार और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। जबकि ग़रीब को अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएँ सदाचार के रास्ते पूरी नहीं होती तो वह नैतिकता पर से अपना विश्वास खोने लगता है और कहीं न कहीं जीवित रहने के लिए अनैतिक होने के लिए बाध्य हो जाता है।

4. महत्वाकांक्षा : कई तो ऐसे कारण है कि लोग कई-कई सौ करोड़ के घोटाले करने और धन जमा करने के बावजूद भी और धन पाने को लालयित रहते हैं और उनकी क्षुधा पूर्ति नहीं हो पाती। तेज़ी से हो रहे विकास और बदल रहे सामाजिक परिदृश्य ने लोगों में तमाम ऐसी नयी महत्वाकांक्षाएं पैदा कर दी हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो अपने वर्तमान आर्थिक ढांचे में रह कर कुछ कर सकने में स्वयं को अक्षम पाते हैं। जितनी तेज़ी से दुनिया में नयी-नयी सुख-सुविधाओं के साधन बढ़े हैं उसी तेज़ी से महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हैं और इन्हें नैतिक मार्ग से पाना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार के द्वारा लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं।

5. प्रभावी कानून की कमी : भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या तो प्रभावी कानून नहीं होते हैं अथवा उनके क्रियान्वयन के लिए सरकारी मशीनरी का ठीक प्रबंधन नहीं होता। सिस्टम में तमाम ऐसी खामियाँ होती हैं जिनके सहारे अपराधी या भ्रष्टाचारी को दण्ड दिलाना बेहद मुश्किल हो जाता है।

6. बाहरी दबाव : कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ मनुष्य को दबाववश भ्रष्टाचार करना और सहन करना पड़ता है। इस तरह का भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में बहुतायत से दिखता है। वह चाह कर भी नैतिकता के रास्ते पर बना नहीं रह पाता हैं क्योंकि उसके पास भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए अधिकार सीमित और प्रक्रिया जटिल हैं।

7. कानून एवं नीतियों में विसंगतियां : भारत में कानूनों में भी असमानता है। जैसे बिना लाइसेंस के हथियार रखने का केस तो लोअर कोर्ट में चलेगा और गांजा की तस्करी का केस सेशन कोर्ट में चलेगा। इसी प्रकार से हमारी आर्थिक नीतियों में भारी असमानता है। हमारे यहाँ साईकिल पर तो 400 रूपये का टैक्स है और गैस पर सब्सिडी है। विचारणीय प्रश्न यह है कि 33 प्रतिशत ग़रीब 5 प्रतिशत गैस की खपत करता है और 33 प्रतिशत अमीर 70 प्रतिशत ऊर्जा की खपत करता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून बनाया है कि गन्ना किसानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ही अपनी फसल को बेचना होगा, अर्थात् मेहनत किसान की और लाभ मिलों का। इस प्रकार के कानून जनहितकारी नहीं है।

8. काले धन की समस्या और उसका निवारण : काला धन भारत में वापस आये यह अच्छा है लेकिन इससे पहले हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या काला धन बनना बंद हुआ?क्या काला धन बाहर जाना बंद हुआ है?इसलिए ज़रूरी यह है कि काला धन बनना रुके और देश से बाहर जाना रुके। काले धन की लड़ाई में हमें एक और मुद्दे को जोड़ देना चाहिए वह मुद्दा है जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। लोक और तंत्र के अधिकार घोषित होने चाहिएं, जबकि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत जनता के अधिकार शून्य हैं।

निवारण :

1. कठोर और प्रभावी व्यवस्था : दुनिया के किसी भी देश में भ्रष्टाचार और अपराध से निपटने के लिए कठोर और प्रभावी कानून व्यवस्था का होना तो अति आवश्यक है ही, साथ ही इसे प्रभावी मशीनरी के द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना भी बेहद आवश्यक है। दुनिया भर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और अन्य सरकारी मशीनरियाँ काम करती हैं। अब लगभग हर देश में पुलिस, फायर सर्विस

जैसी तमाम सरकारी सहायता के लिए एक यूनिक नंबर होता है जिसके मिलाते ही यह सुविधा आम लोगों को मिलती है। लेकिन यदि कोई रिश्वत मांगता है अथवा भ्रष्टाचार करता है तो ऐसी कोई सीधी व्यवस्था नहीं दिखती है कि एक फोन मिलाते ही भ्रष्टाचार निरोधी दस्ता आए और पीड़ित की सहायता करें और भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें।

2. आत्म नियंत्रण और नैतिक उत्थान : यह एक हद तक ठीक है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक बड़ा कानून होना आवश्यक है। किंतु इससे भ्रष्टाचार पर मात्र तात्कालिक और सीमित नियंत्रण ही प्राप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। सत्य के साथ जीना सहज नहीं होता। इसके लिए कठोर आत्म-नियंत्रण, त्याग और आत्म-बल की आवश्यकता होती है। जब तक हमें अपने जीवन के पहले सोपानों पर सत्य के लिए लड़ने की शक्ति और आत्म बल नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। दुनिया में उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ावे के साथ, नैतिक शिक्षा के प्रति उदासीनता बढ़ी है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति से स्कूलों और पाठ्यक्रमों से आत्मिक उत्थान से अधिक भौतिक उत्थान को बल मिला है। जिससे बच्चों में ईमानदारी और नैतिकता के लिए पर्याप्त प्रेरकशक्ति का अभाव देखने को मिलता है। बचपन से ही शिक्षा का मूल ध्येय धनार्जन होता है इसलिए बच्चों का पर्याप्त नैतिक उत्थान नहीं हो पाता है। अतः शिक्षा पद्धति कोई भी हो उसमे नैतिक मूल्य, आत्म नियंत्रण, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जैसे विषयों का समावेश होना अति आवश्यक है।

3. आर्थिक असमानता को दूर करना : आर्थिक असमानता का तेज़ी से बढ़ना बड़े स्तर पर कुंठा को जन्म देता है। समाज के आर्थिक रूप से निचले स्तर पर आजीविका के लिए संघर्षरत किसी व्यक्ति के लिए नैतिकता और ईमानदारी अपना मूल्य खो देती है। पिछले दिनों योजना आयोग ने गाँवों के लिए 26 रूपये और शहरों के लिए 32 रूपये व्यक्ति प्रति दिन खर्च को जीविका के लिए पर्याप्त माना और यह राशि खर्च करने वाला व्यक्ति ग़रीब नहीं माना जाएगा। यह तथ्य किसी के भी गले नहीं उतरा कि इस धनराशि में कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना जीवनयापन कैसे कर सकता है। ग़रीबी और आर्थिक असमानता भी जब हद से बढ़ जाती है तो नैतिकता अपना मूल्य खो देती है यह हर देश काल के लिए एक कटु सत्य है कि एक स्तर से अधिक आर्थिक व सामाजिक असमानता ने क्रांतियों को जन्म दिया है। इस कारण किसी भी देश की सरकार का प्रभावी प्रयास होना चाहिए कि आर्थिक असमानता एक सीमा में ही रहे।

अन्य उपाय

इसके अतिरिक्त और भी बहुत से उपाय किए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने अथवा मिटाने में कारगर हो सकते हैं परंतु श्रेयस्कर यही है कि सख्त और प्रभावी कानून के नियंत्रण के साथ नैतिकता और ईमानदारी अंदर से पल्लवित हो न कि बाहर से थोपी जाए।

यदि हम सचमुच भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें समग्रता में सोचना होगा और सभी मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा वरना आधा-अधूरा प्रयास सफल नहीं हो सकेगा। समस्या यह है कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के निवारण हेतु कोई गंभीर और सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा। घड़ियाली आँसू, दिखावे के बयान और सतही कार्यवाहियां ही देखने को मिल रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नया लोकपाल बिल लाने का इरादा रखती है, जिसे संसद में पारित कर दिया गया है। अब देखना यह है कि प्रस्तावित लोकपाल अपने उद्देश्य में खरा उतरता है या दिखावा मात्र ही सिद्ध होता है। बकौल शायर कहीं लोकपाल यह चरितार्थ न करें

"मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की मैंने"।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की वर्तमान लड़ाई केवल एक शुरुआत या प्रतीक भर है। जिसके आगामी चरणों में हमें व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जैसे मुद्दों को सम्मिलित करना होगा। तभी भ्रष्टाचार मुक्त, सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत की आगे की राह तय हो पायेगी। जनता के हर वर्ग को इसे समझने, दूसरों को समझाने और सबको लेकर इस प्रयास को मजबूती देने का काम करना होगा तभी हम भ्रष्टाचार से लड़ पायेंगे और एक स्वस्थ, समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण कर पायेंगे।

- प्र.का. राजभाषा विभाग

नई दिल्ली

सुभद्रा कुमार चौहान - एक परिचय

- शिल्पी सिन्हा

चमक उठी सन् सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी।
बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झाँसी वाली रानी थी।

''झाँसी की रानी' कविता की रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन नहीं जानता। वीर रस से ओत-प्रोत इस कविता को 'राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कविता' की उपाधि दी गई थी। यह कविता जन-जन में प्रसिद्ध हुई। कविता की भाषा का ऐसा ऋजु प्रवाह है कि वह बालकों-किशोरों को सहज ही कंठस्थ हो जाती है।

आइए! हम अपने पाठकों को सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के कुछ अंतरंग पहलुओं से परिचित करवाएँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहबाद के पास निहालपुर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम 'ठाकुर रामनाथ सिंह' था। उनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता था। 'क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज' में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सुभद्रा जी की काव्य-प्रतिभा बचपन से ही सामने आने लगी थी। 1913 में नौ वर्ष की आयु में सुभद्रा जी की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका 'मर्यादा' में प्रकाशित हुई थी। यह कविता नीम के पेड़ को केन्द्र में रखकर लिखी गई थी। सुभद्रा जी चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा जी की पढ़ाई नवीं कक्षा के बाद छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद नवलपुर के सुप्रसिद्ध 'ठाकुर लक्ष्मण सिंह' के साथ उनका विवाह हो गया था। सुभद्रा जी की बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि थी। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली काव्य रचना की। सुभद्रा जी का स्वभाव बचपन से ही दबंग, बहादुर और विद्रोही था। वह प्रारम्भ से ही अशिक्षा, अंधविश्वास, जाति-प्रथा आदि रुढ़ियों के विरुद्ध थी। विवाह के डेढ़ वर्ष के बाद ही वे सत्याग्रह में शामिल हो गई थी और जेलों में ही उनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष गुज़रे। गृहस्थी और नन्हे-नन्हें बच्चों का जीवन सँवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की।

सुभद्रा जी ने बहुत पहले ही अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति के स्तम्भों, धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण और साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण प्रस्तुत किया था :

''मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, काबा-काशी यह मेरी
पूजा पाठ, ध्यान जप-तप है घट-घट वासी यह मेरी।
कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आँगन में देखो।
कौशल्या के मातृमोद को, अपने ही मन में लेखो।
प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मुहम्मद का विश्वास
जीव दया जिन पर गौतम की, आओ देखो इनके पास।

सुभद्रा जी में साहित्य सृजन की अद्भुत प्रतिभा थी। पति के रूप में उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिला। जिन्होंने उनकी इस प्रतिभा को विकसित करने के लिए उचित वातावरण उन्हें प्रदान किया।

उनके भीतर जो तेज था, काम करने का उत्साह था, उसके लिए घर की सीमा बहुत छोटी थी। 1920-21 में सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नागपुर उनका कार्यक्षेत्र बना। वहाँ घर-घर तक उन्होंने कांग्रेस का संदेश पहुँचाया। सुभद्रा जी त्याग और सादगी से अपना जीवन बिताती थी। उनके सहज स्नेही मन और निश्छल स्वभाव का जादू सभी पर विद्यमान था। उनका जीवन प्रेमयुक्त था और वे निरंतर प्रेम ही बाँटती थी।

1922 में देश के पहले सत्याग्रह 'झंडा सत्याग्रह' में भाग लेने वाली पहली महिला सत्याग्रही सुभद्रा कुमार चौहान ही थीं। वे सभाओं में सक्रिय योगदान देती थी और भाषण भी देती थी। जिसके लिए उन्हें लोकल सरोजिनी की उपाधि भी मिली। वे राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय भाग लेती रहीं। कई बार जेल भी गईं। काफी दिनों तक मध्य प्रांत असेम्बली की कांग्रेस सदस्या रही और साहित्य एवं राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर अंत तक देश की एक जागरूक नारी का अपना कर्तव्य निभाती रहीं।

1917 में जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर कठोर आघात पहुँचा। उन्होंने तीन आग्नेय कविताएँ लिखीं। 'जलियांवाला बांग में बसंत' में वे लिखती है :

परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है।
हा! यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है।।

उन्होंने लगभग 88 कविताएँ और 46 कहानियाँ लिखीं। इनका पहला काव्य-संग्रह 'मुकुल' 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएँ 'त्रिधारा' में प्रकाशित हुई। इनके तीन कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए-'बिखरे मोती', 'उन्मादिनी' और 'सीधे-सादे चित्र'। इन कथा

संग्रहों में कुल 38 कहानियाँ है। सुभद्रा जी अपने काल की कुछ गिनी-चुनी स्त्री कथाकारों में से एक थीं। स्त्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है :

सबल पुरुष यदि भीरू बने तो हमको दे वरदान सखी।
अबलाएँ उठ पड़े देश में, करें युद्ध घमासान सखी।।

असहयोग आंदोलन के लिए यह आहवान इस शैली में तब हुआ है, जब स्त्री सशक्तिकरण का इतना अधिक प्रभाव नहीं था। 'वीरों का कैसा हो वसंत', 'स्वदेश के प्रति', 'विजयादशमी', 'विदाई' 'सेनानी का स्वागत', 'मातृमंदिर में' आदि उनकी देश प्रेम से युक्त कविताएँ हैं।

तरल जीवनानुभूतियों से उपजी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का दूसरा आधार स्तम्भ 'प्रेम भावना' है। शैशव प्रेम और दाम्पत्य प्रेम, इन दोनों प्रेम भावना की झलक हमें उनकी कविताओं में दृष्टिगत होते हैं। शैशव प्रेम पर जितनी सुंदर कविताएँ उन्होंने लिखी है, वे भक्तिकाल के बाद अतुलनीय हैं। निर्दोष और अल्हड़ बचपन को जिस प्रकार स्मृति में बसाकर उन्होंने मधुरता से अभिव्यक्ति की है, वह कभी भूली नहीं जा सकती :

बार-बार आती है मुझको, मधुर याद बचपन तेरी''
''आजा बचपन एक बार फिर
दे-दे अपनी निर्मल शांति
व्याकुल व्यथा मिटाने वाली,
वह अपनी प्राकृत विश्रांति।

''मेरा नया बचपन'' उनकी अत्यंत मार्मिक कविता है। उन्होंने अपनी शैशव संबंधी कविताओं में बिटिया को ही स्थान दिया है। उन्होंने संसार का समस्त सुख बिटिया में ही देखा है। 'बालिका का परिचय' उनके इसी महत्व को दिखाता है :

दीपशिखा है अहंकार की, घनी घटा की उजियाली।
ऊषा है, यह कमल-भृंग की, है पतझड़ की हरियाली।।

सुभद्रा जी ने मातृत्व से प्रेरित होकर अत्यंत मनोहर कविताएँ रची है। 'सभा का खेल' कविता में बालकों में खेल-खेल में राष्ट्रीय भावना जगाने का अद्‌भुत प्रयास उन्होंने किया है :

सभा-सभा का खेल आज हम खेलेंगे
जीजी आओ मैं गाँधी जी, छोटे नेहरू तुम सरोजिनी बन जाओ,
मेरा तो सब काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा।
छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा।
मोहन लल्ली पुलिस बनेंगे
हम भाषण करने वाले वे लाठियां चलाने वाले,
हम घायल मरने वाले

असहयोग आंदोलन के वातावरण में पले-बढ़े बालकों के लिए ऐसे खेल स्वाभाविक है।

सुभद्रा जी की 'कदम्ब का पेड़' शीर्षक कविता आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है :

यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे,
मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे-धीरे।
ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसों वाली,
किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली।
तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं चुपके-चुपके आता,
उस नीची डाली से अम्मा ऊँचे पर चढ़ जाता,
वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता।।

कविता में मार्मिकता एवं रसात्मकता विद्यमान है।

प्रेम की कविताओं में जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, निष्ठा एवं रागात्मकता के दर्शन होते हैं। 'प्रियतम से', 'चिन्ता', 'मधुहार राधे', 'आहत की अभिलाषा', 'प्रेम श्रृंखला', 'अपराधी है कौन', 'दण्ड का भागी बनता कौन' आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत सुंदर प्रेम कविताएँ हैं। पति से रूठने और मनुहार करती 'प्रियतम से' कविता का यह अंश देखिए :

ज़रा-ज़रा सी बातों पर
मत रूको मेरे अभिमानी।
लो प्रसन्न हो जाओ,
गलती मैंने अपनी सब मानी।
मैं भूलों की भरी पिटारी,
और दया के तुम आगार।
सदा दिखाई दो तुम हँसते,
चाहे मुझसे करो न प्यार।

अपने और प्रिय के मध्य किसी तीसरे की उपस्थिति उन्हें असहनीय थी। 'मानिनि राधे' में व्यक्त यह आक्रोश पूरे साहित्य में विरल है :

खूनी भाव उठें उसके प्रति
जो हो प्रिय का प्यारा
उसके लिए हृदय यह मेरा
बन जाता हत्यारा।

उनके काव्य में भक्ति भाव भी प्रबल हैं। पूर्ण मन से प्रभु के सम्मुख सर्व समर्पण की इससे सुंदर सहज अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती :

देव! तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते।
बहुमूल्य भेंट वे, कई रंग के लाते।

प्रकृति से प्रेम भी उनके काव्य में लक्षित होता है। 'नीम', 'फूल के प्रति', 'मुरझाया फूल' आदि में उन्होंने सहज भाव से प्रकृति का चित्रण किया है।

इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का फलक अत्यंत व्यापक है। 'झाँसी की रानी' कविता उनकी अक्षय कीर्ति का ऐसा स्तम्भ है, जिस पर काल अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। 15 फरवरी 1948 में एक कार दुर्घटना में उनके मृत्यु के पश्चात श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि सुभद्रा जी का आज चल बसना ऐसा लगता है मानो नर्मदा की धारा के बिना, तट के पुण्य तीर्थों के सारे घाटों ने अपना अर्थ और उपयोग खो दिया है। सुभद्रा जी को 'मुकुल' और 'बिखरे मोती' के लिए अलग-अलग सेक्सरिया पुरस्कार मिले। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा जी की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करते हुए, नए नियुक्त तटरक्षक जहाज को सुभद्राकुमारी चौहान नाम दिया। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा जी के सम्मान में 25 पैसों का डाक-टिकट जारी किया है।

सुभद्रा जी का राष्ट्र प्रेम बेजोड़ है। वे एक साधारण नारी होते हुए भी असाधारण है। उनकी शैली में वही सरलता, अकृत्रिमता है जो उनके चरित्र में हैं। उनमें जहाँ एक ओर नारी-सुलभ गुणों का उत्कर्ष है, वहीं स्वदेश प्रेम और देश के प्रति अभिमान भाव भी है। वे वास्तव में एक क्षत्रिय नारी हैं। समस्त स्त्री जाति के लिए वे एक आदर्श हैं। उनकी कविताएँ स्त्रियों में प्रेरणा भर देती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान आज भी अपनी कविताओं और कहानियों के रूप में हमारे हृदय में जीवित हैं। उन्हें शत्-शत् नमन।

- प्र.का. राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

(बैंकिंग विषयों पर सारगर्भित एवं विचारोत्तेजक आलेखों की एक मात्र हिंदी पत्रिका)

बैंकिंग एवं उससे संबद्ध विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयोजन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले 24 वर्षों से तिमाही आधार पर बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

उपर्युक्त विषयों पर व्यावहारिक एवं शोधपूर्ण मौलिक आलेख आमंत्रित हैं। प्रकाशित होने वाले आलेखों पर आकर्षक मानदेय देने की व्यवस्था भी है। अपने आलेख कृपया इस पते पर भेजें :

कार्यकारी संपादक
बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेंट हाउस, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-400 018

सेवा-निवृत्तियाँ

महाप्रबंधक

1. श्री विजय श्रीवास्तव
2. श्री हरप्रीत सिंह मक्कड़
3. श्री रविन्द्र गोसाई

उप महाप्रबंधक

1.	श्री बलजीत सिंह हांडा	:	प्रधान कार्यालय, आंचलिक निरीक्षणालय, चंडीगढ़
2.	श्री किरनजीत सिंह ढिल्लों	:	प्रधान कार्यालय, प्राथमिकता क्षेत्र विभाग, चंडीगढ़
3.	श्री बलजीत सिंह सिब्बल	:	प्रधान कार्यालय, प्राथमिकता क्षेत्र विभाग, नई दिल्ली
4.	श्री जागीर सिंह	:	विशेष कार्पोरेट शाखा, नई दिल्ली

सहायक महाप्रबंधक

1.	श्री उज्जवल सिंह	:	स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़
2.	श्री धरमवीर सिंह	:	प्र.का., निरीक्षण विभाग, नई दिल्ली
3.	श्री बलवीर सिंह सैनी	:	प्र.का., विधि एवं वसूली विभाग, नई दिल्ली

मुख्य प्रबंधक

1.	श्री इन्द्रपाल सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, जालंधर
2.	श्री रणधीर सिंह सैनी	:	शाखा तिलक नगर, नई दिल्ली
3.	श्री मोहिंद्रपाल सिंह	:	स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़
4.	श्री गुरपिन्दर सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, लुधियाना
5.	श्री जसविंदर सिंह मक्कड़	:	शाखा संगरूर
6.	श्री राजिंदर सिंह ढींगरा	:	आं.का. देहरादून

वरिष्ठ प्रबंधक

1.	श्री रविन्दर सिंह सलारिया	:	आंचलिक कार्यालय- II, नई दिल्ली
2.	श्री रमेश कुमार	:	शाखा उमरपुरा, गुरदासपुर
3.	श्री दलजीत सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, जालंधर
4.	श्री मल्कियत सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, बठिंडा
5.	श्री दीवान चंद कौशल	:	प्रधान कार्यालय, विधि एवं वसूली विभाग
6.	श्री कुलदीप राय मंगल	:	प्रधान कार्यालय, विधि एवं वसूली विभाग
7.	श्री बलवंत सिंह सेठी	:	आंचलिक कार्यालय- III, नई दिल्ली
8.	श्री कुलवंत सिंह	:	आंचलिक कार्यालय, अमृतसर(शहरी)

9.	श्री वरिंदर सिंह	: शाखा हॉल बाजार अमृतसर
10.	श्री जगजीत सिंह डांग	: शाखा लाजपत नगर, जालंधर
11.	श्री गुरचरनजीत सिंह	: आंचलिक कार्यालय, अमृतसर(शहरी)
12.	श्री रंजीत सिंह	: प्रधान कार्यालय आंचलिक निरीक्षणालय
13.	श्री सुरेश चंद बंसल	: शाखा एच-ब्लॉक, कनाट प्लेस,नई दिल्ली
14.	श्री चरनजीत सिंह	: आंचलिक कार्यालय, जालंधर
15.	श्री अमरजीत सिंह	: आंचलिक कार्यालय, भोपाल
16.	श्री नरिंदरपाल सिंह	: शाखा पंचकुला सेक्टर-5, हरियाणा
17.	श्री जगमोहन सिंह	: शाखा जमशेर खेरा, जालंधर
18.	श्री मनमोहन सिंह अरोड़ा	: शाखा गुडमण्डी, पटियाला
19.	श्री जगतार सिंह आनंद	: प्र.का. अग्रिम (एन.पी.एस.)
20.	श्री मलविंदर सिंह	: प्र.का., भा.रि.बैंक निरीक्षण कक्ष
21.	श्री लक्ष्मण सिंह	: शाखा शहरी एस्टेट फेज- I, बठिण्डा
22.	श्री गुरवचन सिंह ओबराय	: आं.का. नई दिल्ली-111
23.	श्री मनदीप सिंह	: शाखा कोट मंगल सिंह, अमृतसर
24.	श्री हरजीत सिंह अरोरा	: शाखा डिबरा
25.	श्री साधु सिंह सिद्धू	: शाखा जी.एस.एस. बठिंडा

प्रबंधक

1.	श्री भगत सिंह	: आर.सी.सी., नई दिल्ली
2.	श्री बलविंदर सिंह	: शाखा बटाला, गुरदासपुर
3.	श्री जसपाल सिंह	: शाखा जी.टी. रोड, गुरदासपुर
4.	श्री गौरी प्रसाद डिमरी	: शाखा आई.बी.डी., नई दिल्ली
5.	श्री परमजीत सिंह	: आंचलिक कार्यालय, बठिंडा
6.	श्री नरिन्दर सिंह खुराना	: आर.सी.सी., लुधियाना
7.	श्री सतबीर सिंह भाटिया	: प्रधान कार्यालय, योजना एवं विकास वि.
8.	श्री सतिंदर पाल सिंह	: शाखा जी.टी. रोड, पानीपत
9.	श्री अमरजीत सिंह	: शाखा सिविल लाइंस, लुधियाना
10.	श्री जीत सिंह	: आ.का., लुधियाना
11.	श्री अरुण कुमार कक्कड़	: शाखा आई.बी.डी., आगरा
12.	श्री निर्मल सिंह	: शाखा भारी
13.	श्री परम देव सिंह	: प्र.का. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14.	श्री रछपाल सिंह	: शाखा मोहाली-10, व्यक्तिगत बैंकिंग
15.	श्री दीपशंकर माथुर	: शाखा डकोहा
16.	श्री देविंदर सिंह	: शाखा तरन-तारन, जी.आर.डी. मार्ग
17.	श्री रविन्दर सिंह दोसी	: शाखा बांगा
18.	श्री मनजीत सिंह	: शाखा डी.डी.एन., गांधी रोड, देहरादून
19.	श्री रोशन लाल शर्मा	: आस्ति वसूली शाखा, मुम्बई
20.	श्री परमजीत सिंह	: शाखा गंगूवाल
21.	श्री सुरजीत सिंह बेदी	: शाखा कलानौर
22.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	: आ.का. देहरादून
23.	श्री बलबीर सिंह	: शाखा फगवाड़ा
24.	श्री वरिंदर कुमार	: शाखा पंज ग्रेन
25.	श्री परमजीत सिंह	: शाखा हजरत गंज, लखनऊ
26.	श्री त्रिलोक चंद सिंघल	: शाखा फतेहपुरी, दिल्ली
27.	श्री चरण सिंह	: शा. खालसा कॉलेज, श्री गंगानगर, बठिंडा
28.	श्री सुखपाल सिंह	: आंचलिक स्टेशनरी डिपो, अमृतसर
29.	श्री भूपिंदर सिंह कलेर	: आंचलिक निरीक्षणालय, अमृतसर
30.	श्री दविंदर सिंह बाबा	: प्र.का., मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
31.	श्री मोहिंदरपाल सिंह	: शाखा धुरी
32.	श्री दविंदरपाल सिंह	: आं.का. चण्डीगढ़-2
33.	श्री सरबजीत सिंह	: शाखा रानी, रायपुर
34.	श्री गुरनाम सिंह गुलियानी	: प्र.का. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
35.	श्री सुखमिंदर सिंह	: शाखा बरियार
36.	श्री बलबीर सिंह पटवालिया	: शाखा अशोक विहार, नई दिल्ली
37.	श्री सुखचैन सिंह	: करेंसी चैस्ट, असिफ़ अली रोड, नई दिल्ली
38.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	: शाखा ओपेरा हाउस, मुम्बई
39.	श्री जंग बहादुर सिंह	: करेंसी चैस्ट, चण्डीगढ़

अधिकारी

1.	श्री कुलदीप सिंह	: शाखा गुरबक्श कॉलोनी, पटियाला
2.	श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी	: शाखा जी.एन.सी. सुंदर नगर, कानपुर
3.	श्री स्वर्ण सिंह	: शाखा कपूरथला
4.	श्री विनोद किरन आहूजा	: शाखा गुरुद्वारा रोड, गुड़गाँव
5.	श्री भजन सिंह	: शाखा न्यू ग्रेन मार्केट नाभा
6.	श्री भूपिन्दर सिंह	: शाखा समाना
7.	श्री मोहिन्दर सिंह	: शाखा अबोहर
8.	श्री देविंदर सिंह	: शाखा सैक्टर-41, चंडीगढ़
9.	श्री देविन्दरपाल सिंह	: शाखा सैक्टर-46, चंडीगढ़
10.	श्री सुखराज सिंह	: शाखा चक शेरवाला
11.	श्री गुरचरण सिंह	: शाखा चावड़ी बाजार, दिल्ली
12.	श्री अरविन्दर पाल सिंह	: शाखा बलेनी, नई दिल्ली
13.	श्री सेवा सिंह	: शाखा न्यू ग्रेन मार्केट जालंधर
14.	श्री कंवलजीत सिंह	: शाखा जोधन
15.	श्री तारा सिंह	: शाखा बरनाला
16.	श्री रविन्दरजीत सिंह चोपड़ा	: आ.का. लुधियाना
17.	श्री परमिन्दर सिंह बिन्द्रा	: आर.सी.सी., नई दिल्ली
18.	श्री प्रितपाल सिंह	: आंचलिक स्टेशनरी डिपो जालंधर
19.	श्री बलविंदर सिंह	: शाखा डाबला
20.	श्री दर्शन सिंह	: शाखा गढ़खल
21.	श्री गुरमीत सिंह	: शाखा पटियाला
22.	श्री प्रेम सागर बंसल	: शाखा साहिबाबाद
23.	श्री श्रवण कुमार	: शाखा ऋषिकेश
24.	श्री गुरमीत सिंह	: शाखा पटियाला
25.	श्री जोगिंदर सिंह क्वात्रा	: प्र.का. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
26.	श्री भाखर सिंह	: शाखा गोलवाला
27.	श्री दीपक वर्मा	: शाखा एमजी रोड, इलाहाबाद
28.	श्री अमर सिंह	: शाखा हापुड़
29.	श्री हरबंस सिंह	: शाखा मयूर विहार, दिल्ली
30.	श्री हीरा सिंह	: शाखा नैनीताल
31.	श्री वीर सिंह	: शाखा अंबाला रोड, सहारनपुर
32.	श्री गोविंदर सिंह	: करेंसी चैस्ट, पटियाला
33.	श्री नरिंदर सिंह मुल्ते	: शाखा बिस्तुपुर, जमशेदपुर

पी.एस.बी. परिवार अपने सेवा-निवृत्त साथियों के स्वस्थ व सुखमय जीवन की कामना करता है।

नन्हें चित्रकार

सुश्री दिवजोत कौर - सुपुत्री श्रीमती सतविंदर कौर आं.का. अमृतसर

श्री हरजोत सिंह - सुपुत्र श्रीमती सतविंदर कौर आं.का. अमृतसर

सुश्री हर्षिता - सुपुत्री श्री वीरेन्द्र रामटेके आं.का.-।। चंडीगढ़।

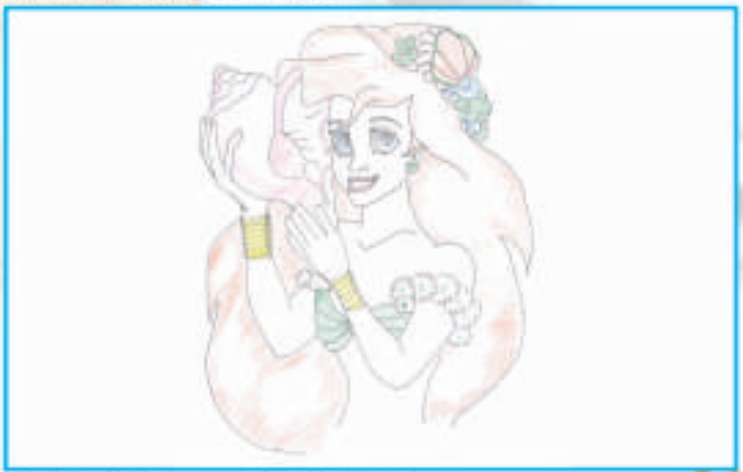

मास्टर गौतम - सुपुत्र श्री मनोज कुमार
प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली

सुश्री आद्या सिन्हा - सुपुत्री श्रीमती शिल्पी सिन्हा
प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

कल तारन गुरू नानक आया

जुगो-जुग अटल श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी।

श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश-उत्सव पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह एवं कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द हाज़री भरते हुए।

रागी सिंह साहिबान शबद-कीर्तन गायन करते हुए।

श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी पर चवंर झुलाते हुए बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एस. बिन्द्रा।

सरबत के भले व बैंक की चढ़दी कला के लिए अरदास।

श्री गुरू ग्रंथ साहिब की सवारी पुनः गुरूद्वारा साहिब ले जाते हुए संगत।

प्र.का. स्तर पर श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश-उत्सव के आयोजन अवसर पर लिए गए चित्र।